2019 का विधेयक संख्यांक 364

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

द्विपक्षीय मंच

3. कर्म समिति ।
4. शिकायत प्रतितोष समिति ।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

5. व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार ।
6. रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड ।
7. व्यवसाय संघ के गठन या नियमों में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध ।
8. रजिस्ट्रीकरण, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया ।
9. व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण और रद्द किया जाना ।
10. रजिस्ट्रीकरण न किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील ।
11. व्यवसाय संघ को संसूचना और उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में परिवर्तन ।
12. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का निगमन ।
13. कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना ।
14. वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् की मान्यता ।
15. व्यवसाय संघ की साधारण निधि के उद्देश्य, पृथक् निधि की संरचना और सदस्यता फीस ।
16. कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति ।
17. व्यवसाय संघ के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आपराधिक षडयंत्र ।
18. करारों की प्रवर्तनीयता ।
19. व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार ।
20. व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्तवय के अधिकार ।
21. व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की निरर्हता ।
22. व्यापार संघों के विवादों का न्यायनिर्णयन ।
23. उद्योग से संबंध स्थापित करने के लिए पदाधिकारियों का समानुपात ।
24. नाम में परिवर्तन, समामेलन, परिवर्तन की सूचना और उसका प्रभाव ।
25. विघटन ।
26. वार्षिक विवरणी ।
27. केन्द्र और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों की मान्यता ।

खंड

अध्याय 4
स्थायी आदेश

28. इस अध्याय का लागू होना ।
29. केंद्रीय सरकार द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों का बनाया जाना और उनका अस्थायी लागू होना ।
30. नियोजक द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को तैयार करना तथा उनके प्रमाणन के लिए प्रक्रिया ।
31. प्रमाणकर्ता अधिकारियों के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।
32. अपीलें ।
33. स्थायी आदेशों के प्रचालन की तारीख और उनकी उपलब्धता ।
34. स्थायी आदेशों का रजिस्टर ।
35. स्थायी आदेशों के अस्तित्वावधि और उनका उपांतरण ।
36. स्थायी आदेशों के खंडन में मौखिक साक्ष्य का ग्राह्य न होना ।
37. स्थायी आदेशों का निर्वचन आदि ।
38. अनुशासनिक कार्यवाहियों को पूरा करने की समय-सीमा और निर्वाह भत्ता संदाय करने का दायित्व ।
39. छूट देने की शक्ति ।

अध्याय 5
तब्दीली की सूचना

40. तब्दीली की सूचना ।
41. समुचित सरकार की छूट देने की शक्ति ।

अध्याय 6
विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश

42. विवादों का माध्यस्थम् को स्वैच्छया निर्देश ।

अध्याय 7
औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

43. सुलह अधिकारी ।
44. औद्योगिक अधिकरण ।
45. अधिकरण के गठन की अंतिमता ।
46. राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ।
47. अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विनिश्चय ।
48. अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य की निरर्हताएं ।
49. माध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।
50. अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कर्मकार के सेवोन्मुक्त या उसके पदच्युति कीदशा में समुचित प्रतितोष देने की शक्तियां ।
51. लंबित मामलों का अंतरण ।
52. निरसित अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं का समायोजन ।
53. विवाद की सुलह और न्यायनिर्णन ।
54. राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्य ।

55. अधिनिर्णय का प्ररूप, उसकी संसूचना और प्रारंभ ।
56. उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियां लंबित रहने तक कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय ।
57. ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे ।
58. समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की अवधि ।
59. नियोजक से शोध्य धन की वसूली ।
60. सुलह कार्यवाहियों का प्रारंभ और समाप्ति ।
61. कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना ।

अध्याय 8

हड़ताल और तालाबंदी

62. हड़ताल और तालाबंदियों का प्रतिषेध ।
63. अवैध हड़तालें और तालाबंदियां ।
64. अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध ।

अध्याय 9

कामबंदी, छटनी और बंदी

65. धारा 67 से धारा 69 का लागू होना ।
66. निरंतर सेवा की परिभाषा ।

67. जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर, आदि के लिए अधिकार ।
68. कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।
69. कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना ।
70. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें ।
71. छंटनी के लिए प्रक्रिया ।
72. छंटनी किए गए कर्मकार का पुन:नियोजन ।
73. स्थापन के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।
74. किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना ।
75. उपक्रमों को बंद कर दिए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।
76. इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव ।

अध्याय 10

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध

77. इस अध्याय का लागू होना ।

78. कामबंदी का प्रतिषेध ।
79. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें, जिनको अध्याय 10 लागू होता है ।
80. उपक्रम बंद किए जाने की प्रक्रिया ।
81. कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।
82. अध्याय 9 के कतिपय उपबंधों का ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होना, जिसे यह अध्याय लागू होता है ।

अध्याय 11

कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि

83. कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि ।

खंड

अध्याय 12

अनुचित श्रम व्यवहार

84. अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध ।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

85. कतिपय मामलों में समुचित सरकार के अधिकारियों की जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति ।
86. शास्तियां ।
87. अपराधों का संज्ञान ।
88. कंपनियों द्वारा अपराध ।
89. अपराधों का शमन ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

90. कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कतिपय परिस्थितियों के अधीन सेवा की शर्तों इत्यादि का अपरिवर्तित रहना ।
91. यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबंध कि कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली है या नहीं ।
92. कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति ।
93. व्यक्तियों का संरक्षण ।
94. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व ।
95. अधिनिर्णय या समझौते के निर्वचन में शंकाओं को दूर करना ।
96. छूट देने की शक्ति ।
97. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।
98. इस संहिता के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
99. नियम बनाने की शक्ति ।
100. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
101. अनुसूचियों को संशोधन करने की शक्ति ।
102. 2017 के अधिनियम सं. 7 का संशोधन ।
103. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
104. निरसन और व्यावृत्तियां ।

अनुसूची 1
अनुसूची 2
अनुसूची 3

2019 का विधेयक संख्यांक 364

[दि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019

व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ 10 लगाया जाएगा कि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, —

(क) "अपील प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र में ऐसे कृत्य, जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित सरकार" से--

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले किसी उपक्रम या औद्योगिक स्थापन के संबंध में, रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनियां या निगम या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या कोई केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मूल उपक्रमों द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई स्वशासी निकाय जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे स्थापन निगम, अन्य प्राधिकरण या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य समनुषंगी कंपनियों के प्रयोजन के लिए संविदाकारों के स्थापन भी हैं, अभिप्रेत है ;

(ii) किसी राज्य में स्थित किसी अन्य औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी शाखा के संबंध में ऐसे स्थापन के लिए राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "औसत वेतन" से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो किसी कर्मकार को,--

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन तीन पूरे कलैंडर मासों में,

(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताहों में,

(iii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन बारह पूरे कार्य दिवसों में,

उस तारीख के पूर्ववर्ती संदेय थी, जिस तारीख को औसत वेतन संदेय है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलैंडर मास तक या चार पूरे सप्ताह तक या बारह पूरे कार्य-दिवस तक काम किया है, और जहां कि ऐसी गणना नहीं की जा सकती वहां औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार को, उस कालावधि के दौरान संदेय थी, जिसमें उसने वास्तव में काम किया;

(घ) "अधिनिर्णय" से किसी धारा 43 में निर्दिष्ट औद्योगिक अधिकरण या धारा 45 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा औद्योगिक विवाद का या उससे संबंधित किसी प्रश्न का अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत धारा 41 के अधीन किया गया माध्यस्थम अधिनिर्णय भी है ;

(ङ) "सत्यापन अधिकारी" से अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन किसी सत्यापन

अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "बंदी" से नियोजन के किसी स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद हो जाना अभिप्रेत है;

(छ) "सुलह अधिकारी" से धारा 42 के अधीन नियुक्त कोई सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "सुलह कार्यवाही" से इस संहिता के अधीन सुलह अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" से किसी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, संक्रियात्मक, पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपकीय कार्य को भाड़े पर या पारिश्रमिक पर, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों, करने के लिए किसी स्थापन द्वारा मजदूरी पर नियोजित (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजित प्रशिक्षु से भिन्न) कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया हो, परंतु इसके अंतर्गत संघ की थल सेना का कोई व्यक्ति नहीं आता है,;

1961 का 52

(ञ) "नियोजक" से कोई व्यक्ति जो अपने स्थापन में, चाहे प्रत्यक्षत: या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी और से या किसी व्यक्ति की और से एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग ऐसे स्थापन को चलाता है, वहां इस निमित्त विभागाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी स्थापन के संबंध में मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जो कि एक कारखाना है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ढ़) में यथा परिभाषित कारखाने का अधिष्ठाता और जहां उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित है ऐसा नामित व्यक्ति ;

1948 का 63

(ii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रहता है और जहां उक्त कार्य को किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए है, ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ;

(iii) संविदाकार ; और

(iv) किसी मृतक कर्मचारी का विधिक प्रतिनिधि ;

(ट) "कार्यपालक" से किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यों का प्रबंधन सौंपा गया हो ;

(ठ) "नियत अवधि नियोजन" से किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को नियोजित करना अभिप्रेत है :

परंतु—

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे, वही कार्य या उसी प्रकृति का कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ; और

(ख) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से, स्थायी कर्मकार को उपलब्ध सभी कानूनी फायदों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित नियोजन की अर्हित अवधि तक की नहीं भी हो ;

(ड) "उद्योग" से किसी नियोजक और कर्मकार (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजक द्वारा सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं, के माध्यम से नियोजित किया गया हो) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से माल या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति या वितरण के लिए किया गया कोई व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है (जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों) भले ही--

(i) ऐसे क्रियाकलाप को करने के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं, या

(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो या नहीं,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है,--

(i) किसी खैराती, सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्णत: या सारत: लगे हुए संगठनों के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रबंधित संस्थाएं ; या

(ii) समुचित सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कृत्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी विभागों द्वारा चलाए जा रहे सभी क्रियाकलाप भी हैं ; या

(iii) कोई घरेलू सेवा ; या

(iv) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ढ) "औद्योगिक विवाद" से नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मकारों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो नियोजन या गैर-नियोजन या नियोजन के निबंधनों या किसी व्यक्ति की श्रम की शर्तों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत किसी व्यष्टिक कर्मकार तथा किसी नियोजक के बीच ऐसे कर्मकार की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या पर्यवासन से

उद्भूत कोई विवाद या मतभेद भी है ;

(ण) "औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा स्थापन या उपक्रम, जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है, अभिप्रेत है :

परंतु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से एक या कुछ ही केवल उद्योग है या उद्योग हैं, तो,--

(i) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट जो उद्योग के रूप मे किसी क्रियाकलाप को कर रही है, ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटो से जो किसी ऐसे क्रियाकलाप को नही कर रही है या करने में सहायता नहीं कर रही है, पृथक्करणीय है, ऐसी यूनिट एक पृथक् औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;

(ii) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी यूनिट में चलाया जा रहा अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में प्रत्येक क्रियाकलाप, ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए पृथक्करणीय नहीं है, यथास्थिति, संपूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा ;

1938 का 4

(त) "बीमा कंपनी" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है ;

(थ) "कामबंदी" (इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों सहित) से किसी नियोजक की, किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयले, विधुत या कच्चे माल की कमी के या स्टाक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से नियोजन करने में असफलता, इन्कारी या असमर्थता अभिप्रेत है ;

(द) "तालाबंदी" से नियोजक-स्थान का अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना या कार्य का निलंबन, या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इन्कार करना अभिप्रेत है ;

1908 का 15

(ध) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है ;

1952 का 35

(न) "खान" से खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है ;

(प) "राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण" से धारा 46 के अधीन गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(फ) "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" से धारा 14 में निर्दिष्ट वार्ताकारी

संघ या वार्ताकारी परिषद अभिप्रेत है;

(ब) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित तदनुसार लगाया जाएगा ;

(भ) "पदाधिकारी" के अंतर्गत, व्यवसाय संघ के संबंध में, उसकी कार्यपालिका का कोई भी सदस्य आता है, किंतु उसके अंतर्गत संपरीक्षक नहीं आता है ;

(म) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(य) "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" से किसी व्यवसाय संघ का कार्यालय जो इस संहिता के अधीन उसके मुख्यालय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत हैं;

(यक) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" से इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है;

(यख) "रजिस्ट्रार" से धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(यग) "छंटनी" से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न चाहे किसी भी कारण से किया गया हो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं–

(i) कर्मकार की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ; अथवा

(ii) अधिवार्षिकता की आयु हो जाने पर कर्मकार की सेवा निवृत्ति, यदि नियोजक और संबद्ध कर्मकार के बीच हुए किसी नियोजन संविदा में उस निमित्त कोई अनुबंध अंतर्विष्ट हो ; अथवा

(iii) नियोजक और संबद्ध कर्मकार के बीच हुए नियोजन संविदा की समाप्ति पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित्त अंतर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति ; अथवा

(iv) नियत अवधि नियोजन की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा समाप्ति ;

(यघ) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसी विहित की जाए और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो;

(यङ) "स्थायी आदेश" से पहली अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित आदेश अभिप्रेत है;

(यच) "हड़ताल" से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सामूहिक रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजित पचास प्रतिशत या अधिक कर्मकारों का किसी निश्चित दिवस पर मिलकर आकस्मिक छुट्टी पर रहना भी है ;

(यछ) "व्यवसाय संघ" से अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो प्रथमतः कर्मकारों और नियोजकों के बीच के या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंध को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारबार के संचालन पर निर्बन्धनात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ आता है :

परंतु इस संहिता के अध्याय 3 के उपबंधों से—

(i) भागीदारों के बीच, उनके अपने कारबार के किसी करार पर, अथवा

(ii) किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच नियोजन के बारे में किसी करार पर, अथवा

(iii) किसी कारबार की गुडविल के विक्रय के या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के, प्रतिफलवस्वरूप किसी करार पर,

प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(यज) "व्यवसाय संघ विवाद" से दो या दो से अधिक व्यवसाय संघों के बीच या किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच व्यवसाय संघों के संबंध में परस्पर उत्पन्न कोई विवाद अभिप्रेत है ;

(यझ) "अधिकरण" से धारा 44 के अधीन गठित कोई औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(यञ) "अनुचित श्रमिक आचरण" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई आचरण अभिप्रेत है ;

(यट) "असंगठित सेक्टर" का वही अर्थ होगा, जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है ; 2008 का 33

(यठ) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाला वह समस्त पारश्रमिक, चाहे वह वेतन या भत्तों के रूप में हो या अन्यथा, अभिप्रेत है, जो किसी नियोजित व्यक्ति को, यदि नियोजन के अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेय होता, और निम्नलिखित इसके अंतर्गत,–

(i) मूल वेतन ;

(ii) महंगाई भत्ता ;

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो ;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं होता है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर विशेष व्यय को चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता या किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई समयोपरि भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई भी उपदान ; या

(ट) कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन की समाप्ति पर उसे किया गया कोई अनुगृहपूर्वक संदाय :

परंतु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को खंड (क) से (झ) के अधीन किए गए कोई संदाय इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिकों के आधे या ऐसी अन्य प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, से अधिक होते हैं तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक होती है, को पारिश्रमिक समझा जाएगा और तदनुसार उसे इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ा जाएगा :

परंतु यह और कि सभी स्त्री-पुरुषों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को मजदूरी की संगणना के लिए लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–जहां किसी कर्मचारी को उसे संदेय संपूर्ण या भाग मजदूरी के

स्थान पर कोई पारिश्रमिक उसके नियोजक द्वारा पूर्णत: या भागत: वस्तु के रूप में दिया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य, जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग समझा जाएगा ।

1961 का 52

(यड) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथापरिभाषित किसी शिक्षु के सिवाय) अभिप्रेत है जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित हों और जिसके अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित श्रमजीवी पत्रकार तथा विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी भी हैं तथा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत, सेवोन्मुक्त कर दिया गया है या जिसकी छटनी या अन्यथा सेवा समाप्ति कर दी गई है या जिसके पदच्युत, सेवोन्मुक्त या छंटनी होने से वह विवाद हुआ है, किंतु इसके अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो–

1956 का 45

1976 का 11

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(i) वायुसेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है ; या

(ii) जो पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित है ; या

(iii) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है; या

(iv) जो पर्यवेक्षणीय हैसियत में नियोजित है और जो प्रतिमास पन्द्रह हजार रुपए से अधिक मजदूरी या कोई ऐसी रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, आहरित कर रहा है :

परंतु अध्याय 3 के प्रयोजन के लिए, "कर्मकार" से–

(क) व्यवसाय या उद्योग में नियोजित सभी व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

2008 का 33

(ख) जिसके अंतर्गत अंसगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ड) में यथा परिभाषित कर्मकार भी है ।

अध्याय 2

द्विपक्षीय मंच

कर्म समिति ।

3. (1) ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियोजक से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,

नियोजन के प्रतिनिधियों और स्थापन में नियोजित कर्मकारों से मिलकर बनने वाली कर्म समिति का गठन करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परंतु ऐसी समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी ।

(2) कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन, स्थापन में नियोजित कर्मकारों में से और धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत उनके व्यापार संघ, यदि कोई हो, के परामर्श से ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय बढ़ाए और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनसे उनका सामान्य सरोकार है, टीका-टिप्पणी करे और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का समाधान करने का प्रयास करें ।

शिकायत प्रतितोष समिति ।

4. (1) प्रत्येक औधोगिक स्थापन में, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, अनियोजन, नियोजन के निबंधनों या सेवा की शर्तों के संबंध में व्यष्टिक कर्मकार की शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोष समिति होगी ।

(2) शिकायत प्रतितोष समिति नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(3) शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष का चयन प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से चक्रानुक्रम में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा ।

(4) शिकायत प्रतितोष समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी :

परंतु यदि शिकायत प्रतितोष समिति में दो सदस्य हैं, तो उनमें से, जहां तक साध्य हों, एक महिला सदस्य होगी और सदस्यों की संख्या दो से अधिक होने की दशा में महिला सदस्यों की संख्या औद्योगिक स्थापन में महिला कर्मकारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जा सकेगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद की बाबत कोई आवेदन किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष, ऐसी जिस तारीख से, जिसको विवाद का कारण उत्पन्न होता है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फाइल किया जा सकेगा ।

(6) शिकायत प्रतितोष समिति, उपधारा (5) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियां पूरी कर सकेगी ।

(7) शिकायत प्रतितोष समिति का, उपधारा (5) के अधीन फाइल किसी आवेदन पर विनिश्चय समिति के बहुमत के आधार पर किया जाएगा, परंतु यह तब, जब कि

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधे से अधिक सदस्य ऐसे विनिश्चय पर सहमत हों, अन्यथा यह समझा जाएगा कि समिति किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंच सकी है ।

(8) ऐसा कर्मकार जो, शिकायत प्रतितोष समिति के विनिश्चय से व्यथित है या उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त समिति में उसकी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ है, यथास्थिति, शिकायत प्रतितोष समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से सुलह अधिकारी को ऐसी शिकायत के सुलह के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन फाइल कर सकेगा ।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार ।

5. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्तियों को अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार, संयुक्त व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार और उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार के द्वारा किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार, संयुक्त व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार या उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार उस क्षेत्र में जिसमें किसी व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहां ऐसे अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार या संयुक्त व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार या उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार समझा जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड ।

6. (1) किसी व्यवसाय संघ के कोई सात या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमों को उनके नाम के हस्ताक्षर द्वारा और अन्यथा इस संहिता के उपबंधों के अनुपालन द्वारा रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, इस संहिता के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करे सकेंगे ।

(2) कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन की तारीख पर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे व्यवसाय संघ के, जिससे वह संबंधित हैं, के साथ स्थापन या उद्योगों में लगे हुए या नियोजित कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इसमें से जो भी कम हो, उसके सदस्य न हों ।

(3) जहां किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन, केवल इस तथ्य के आधार पर कि आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय पर किंतु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण से पहले कुछ आवेदक, किंतु उन व्यक्तियों की कुल संख्या से आधे से अधिक नहीं जिन्होंने आवेदन किया था, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रहे है या जिन्होंने आवेदन से उनको असंबद्ध होने की रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दी है, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

(4) कर्मकारों के रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ में सदैव सदस्यों की संख्या, किसी

स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित कम से कम सात सदस्यों के अधीन रहते हुए कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इनमें जो भी कम हो, होगी ।

व्यवसाय संघ के गठन या नियमों में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध ।

7. कोई व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का इस संहिता के उपबंधों के अनुसार गठन न किया गया हो और व्यवसाय संघ के नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध न करते हों, अर्थात् :--

(क) व्यवसाय संघ का नाम ;

(ख) वे सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है ;

(ग) वे सभी प्रयोजन जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होंगी, जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनके लिए निधियां इस संहिता के अधीन विधिपूर्वक उपयोजित की जा सकती है ;

(घ) व्यवसाय संघ के संदस्यों की सूची का रखा जाना और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ङ) ऐसे साधारण सदस्यों का प्रवेश, (उनके शिल्प या प्रवर्ग को विचार में लाए बिना) जो, यथास्थिति, ऐसे स्थापन, उपक्रम या उद्योग या किसी स्थापन की इकाइयों, शाखाओं या कार्यालयों में, जिससे वह व्यवसाय संघ संबंधित है, वस्तुतः लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे, और ऐसे मानद या अस्थायी संख्या वाले सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे कार्मकार नहीं हैं जो धारा 21 के अधीन नहीं व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिए पदाधिकारियों के रूप में अनुज्ञात है ;

(च) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान का संदाय और ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों और अन्य से दान, जो विहित किए जाएं ;

(छ) वे शर्तें, जिनके अधीन कोई सदस्य किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसका आश्वासन नियमों द्वारा दिया गया है और जिनके अधीन किसी सदस्य पर कोई जुर्माना या समपहरण अधिरोपित किया जा सकेगा ;

(ज) व्यवसाय संघ के सदस्यों की वार्षिक साधारण निकाय बैठक, ऐसी बैठक में किए जाने वाला कामकाज, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी है ;

(झ) वह रीति जिसमें व्यसाय संघ की कार्यपालिका के सदस्यों का और अन्य पदाधिकारियों का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार चुनाव किया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ;

(ञ) व्यवसाय संघ की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उसके लेखाओं का ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाए, वार्षिक संपरीक्षा और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखाबाहियों के निरीक्षण के लिए यथायोग्य सुविधाएं ;

(ट) वह रीति जिसमें नियमों को संशोधित किया जाएगा, उनमें फेरफार या

विखंडित किया जाएगा ; और

(ठ) वह रीति, जिसमें व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया ।

8. (1) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे–

(क) ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, किसी शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा ;

(ख) व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति के साथ ऐसे नियम अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प की प्रति ;

(घ) किसी व्यवसाय संघ का व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन होने की दशा में, व्यवसाय संघ के सदस्यों की पृथक् बैठक जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन गठित करने के लिए सहमत हुई हों, के प्रत्येक सदस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प की प्रति ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघों के सदस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प से किसी व्यवसाय संघ का व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन की दशा में प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यो द्वारा पृथक बैठक में अंगीकृत संकल्प अभिप्रेत हैं ।

(2) जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने से एक वर्ष पहले से अधिक से विद्यमान है, व्यवसाय संघ की आस्तियों और उसके दायित्वों की एक साधारण विवरणी ऐसे प्ररूप में और जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को देगा, जैसा विहित किया जाए ।

(3) रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि और सुचना की मांग कर सकेगा आवेदन संहिता के उपबंधों का अनुपालन करता है और व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किए जाने तक व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा ।

(4) यदि वह नाम, जिसके अधीन व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण करने का प्रस्ताव करता है, किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के समान है या रजिस्ट्रार की राय में किसी विद्यमान व्यवसाय संघ के नाम से उतना अधिक मिलता है कि ऐसे नाम से जनता या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्यों के भ्रमित होने की संभावना है तो रजिस्ट्रार आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगा और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रर करने से इंकार कर देगा ।

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण और रद्द किया जाना ।

9. (1) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि उस व्यवसाय संघ द्वारा, जिसने ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन किया है, दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही है, उस व्यवसाय संघ के लिए रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करते हुए या रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करते हुए आदेश देगा और आवेदक व्यवसाय संघ को आदेश की

इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचना देगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर देता है वहां वह ऐसे इंकार किए जाने के लिए लिखित में उसके कारण बताएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का आदेश देता है वहां वह, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदक व्यवसाय संघ को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो गया है ।

(3) यदि रजिस्ट्रार ने किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया है तो वह उस व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा ।

(4) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसके पास इस संहिता के प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जाएगा : 1926 का 16

परंतु ऐसा व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार के पास एक विवरण फाइल करेगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन संहिता के अनुसरण में हैं, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियम धारा 7 के अनुसरण में अद्यतन हैं, और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों को तदनुसार संशोधित करेगा ।

(5) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा,--

(i) व्यवसाय संघ द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, सत्यापित आवेदन पर वापिस लिया या रद्ध किया जा सकेगा ; या

(ii) व्यवसाय संघ द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त सूचना पर वापिस लिया या रद्द किया जा सकेगा :

परंतु व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने से पूर्व व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के प्रस्ताव के आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को साठ दिन से अन्यून पूर्व सूचना दी जाएगी ।

(6) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, जहां किसी अधिकरण ने ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का आदेश किया है ।

(7) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करते समय रजिस्ट्रार ऐसे करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और उसकी लिखित सूचना संबंधित व्यवसाय संघ को संसूचित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण न किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील ।

10. (1) किसी व्यवसाय संघ का, धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से रजिस्ट्रार के इंकार करने से या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकरण, इस उपधारा के अधीन अपील करने हेतु विहित परिसीमा के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है ।

(2) अधिकरण, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथास्थिति, अपील को खारिज कर सकेगा या रजिस्ट्रार को यह निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि वह व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करे और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के आदेश को आपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर सकेगा ।

व्यवसाय संघ को संसूचना और उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में परिवर्तन ।

11. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनाएं और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर, ऐसी रीति में भेजे जाएंगे, जो विहित की जाएं ।

(2) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन दी गई विशिष्टियों में और उसके गठन या नियमों, में किसी परिवर्तन को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचित करेगा ।

रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का निगमन ।

12. प्रत्येक व्यवसाय संघ उस नाम का, जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जिससे उसे जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों को ही अर्जित और धारित करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना ।

13. निम्नलिखित अधिनियमों के उपबंध, अर्थात् :—

1860 का 21 (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ;

1912 का 2 (ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 ;

2002 का 39 (ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 ;

2013 का 18 (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 ; और

(ङ) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कोई अन्य तत्स्थानी विधि,

किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को लागू न होंगे और पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन हुआ ऐसे किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण शून्य होगा ।

वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् की मान्यता ।

14. (1) किसी औद्योगिक स्थापन में, औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ ऐसे विषयों पर जो विहित किए जाएं बातचीत करने के लिए, यथास्थिति, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् होगी ।

(2) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों का केवल एक व्यवसाय संघ काम कर रहा है तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे व्यवसाय संघ को कार्मकारों के एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा ।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक से अधिक कर्मकारों के व्यवसाय संघ कार्य कर रहे हैं तो ऐसे व्यवसाय संघ, जिसके पास औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापित पच्चहतर प्रतिशत या अधिक कर्मकार हैं, जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन करते हैं, को समुचित सरकार या इस निमित्त ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में इस संहिता के अधीन एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के व्यवसाय संघ काम कर रहें है और ऐसे किसी भी व्यवसाय संघ के पास उस स्थापन के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सत्यापित मस्टररोल पर पच्चहतर प्रतिशत या अधिक कर्मकार नहीं हैं, जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन कर रहे हैं तो समुचित सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर बातचीत करने के लिए एक वार्ताकारी परिषद् का गठन किया जाएगा, जो ऐसे व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के इस प्रकार सत्यापित मस्टर रोल पर कुल कर्मकारों का समर्थन है और ऐसे प्रतिनिधित्व में ऐसे कुल कर्मकारों के प्रत्येक दस प्रतिशत के लिए एक प्रतिनिधि होगा और ऐसी संगणना में ऐसे दस प्रतिशत के भाग को गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय पर किसी नियोजक या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद् के बीच कोई बातचीत की जाती है वहां ऐसी बातचीत के परिणामस्वरुप किसी करार को किया गया कहा जाएगा, यदि उस पर ऐसी वार्ताकारी परिषद् में के व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा सहमति हो जाती है ।

(6) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गई कोई मान्यता या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद्, यथास्थिति, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और इस प्रकार मान्यता प्राप्त किसी व्यवसाय संघ को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पुनः मान्यता दी जा सकेगी ।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा किसी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

व्यवसाय संघ की साधारण निधि के उद्देश्य, पृथक् निधि की संरचना और सदस्यता फीस ।

15. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को विहित उद्देश्यों से भिन्न किन्हीं अन्य उद्देश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक् रूप से उदगृहित किए गए अभिदाय या उस निधि में किए गए अभिदाय से एक पृथक् निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उद्देश्य, जो विहित किए जाएं, को अग्रसर करने के लिए उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिए संदाय किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित निधि के लिए अभिदाय करने के लिए किसी सदस्य को विवश नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, को व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में (सिवाय उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में) उसके उक्त निधि में अभिदाय न करने के कारण व्यवसाय संघ के किन्हीं फायदों से विवर्जित नहीं किया जाएगा या किसी संबंध में या तो

प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी नि:शक्तता या किसी अफायदाप्रद स्थिति में नहीं रखा जाएगा और उक्त निधि में अभिदाय व्यवसाय संघ में शामिल करने के लिए एक शर्त नहीं होगी ।

(4) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा संदेय किया गया अभिदाय वह होगा, जो विहित किया जाए ।

कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति ।

16. (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे कार्य के बारे में, जो ऐसे औद्योगिक-विवाद को, जिसका व्यवसाय संघ का सदस्य एक पक्षकार है, अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में किया गया है, उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं चलाई जा सकेगी कि ऐसा कार्य नियोजन की संविदा भंग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारबार या नियोजन में, या किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, किसी औद्योगिक-विवाद को अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी अपकृत्य की बाबत किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के ज्ञान के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिए गए अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था ।

व्यवसाय संघ के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आपराधिक षडयंत्र ।

17. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उद्देश्य को, जो धारा 15 में विनिर्दिष्ट है, अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के बीच हुए किसी करार के बारे में, जब तक वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय नहीं होगा ।

1860 का 45

करारों की प्रवर्तनीयता ।

18. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार का अवरोधक है :

परंतु इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संपृक्त किसी करार के भंग के लिए, जिन पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारबार का संव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे या नियोजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या वसूल करने के प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी ।

व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार ।

19. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखा बहियां और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसी समयों पर खुली रहेगी, जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबंधित किए जाएं ।

व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्तवय के अधिकार ।

20. कोई भी व्यक्ति, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य, उस व्यवसाय संघ के नियमों के अधीन रहते हुए, हो सकेगा और यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा और सभी ऐसी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा और सभी ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा, जिनका निष्पादन किया जाना या दिया जाना नियमों के अधीन आवश्यक हो ।

व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की निरर्हता ।

21. (1) कोई व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि,—

(i) उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ii) वह किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जब तक कि छोड़े जाने के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो ;

(iii) अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि वह उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी व्यवसाय संघ के पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य या संघ या किसी राज्य में लाभ का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वचनबध या नियोजित है) किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा ।

व्यापार संघों के विवादों का न्यायनिर्णयन ।

22. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में,जहां विवाद—

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के बीच उद्भूत होता है ; या

(ख) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के संबंध में व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन की बाबत उद्भूत होता है ; या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के बीच उद्भूत होता है ; या

(घ) किसी व्यवसाय संघ की बाबत है, जो व्यवसाय संघों का परिसंघ है और इस निमित्त पदाधिकारी को व्यवसाय संघ द्वारा प्राधिकृत किया गया है,

वहां आवेदन, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस क्षेत्र पर जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाहय संघों का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को किया जा सकेगा ।

(2) अधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी ।

उद्योग से संबंध स्थापित करने के लिए पदाधिकारियों का समानुपात ।

23. (1) किसी असंगठित क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ के कुल पदाधिकारियों के आधे से अन्यून व्यक्ति किसी स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में वास्तविक रूप से नियोजित होंगे :

परंतु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध इस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अंसगठित सेक्टर" से कोई सेक्टर जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है ।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी सिवाय कुल पदाधिकारियों की संख्या का एक तिहाई या पांच, जो भी कम हो, ऐसे व्यक्ति होंगे, जो वास्तव में उस स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित होंगे, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कोई कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, को किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं समझा जाएगा ।

नाम में परिवर्तन, समामेलन, परिवर्तन की सूचना और उसका प्रभाव ।

24. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून की सम्मति से और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा ।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समामेलित हो सकेंगे ।

(3) व्यवसाय संघ जो अपना नाम पिरवर्तन कर रहा है के सचिव द्वारा और सात सदस्यों द्वारा नाम परिवर्तन करने की दशा में और हर एक और प्रत्येक व्यवसाय संघ जो इसका पक्षकार है के सचिव और सात सदस्यों द्वारा समामेलन की दशा में प्रत्येक नाम परिवर्तन की और प्रत्येक समामेलन की हस्ताक्षरित लिखित सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित हो, वहां वह उस राज्य के रजिस्ट्रार को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी जाएगी ।

(4) यदि प्रस्थापित नाम वही है, जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों को धोखे में पड़ जाना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समधान हो जाता है कि नाम के परिवर्तन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, नाम का परिवर्तन धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगी ।

(6) जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, उसका रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्द्वारा बना है वह धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटियुक्त बनाएगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही, जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी

जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

विघटन ।

25. (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, तब विघटन की सूचना, जिस पर उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे, विघटन के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते हैं, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा, जैसी विहित की जाए ।

वार्षिक विवरणी ।

26. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ—

(क) रजिस्ट्रार को वार्षिक रूप से ऐसी तारीख को या उससे पूर्व, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में संप्रेक्षित और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो विहित किया जाए, ऐसी विहित तारीख से पूर्ववर्ती अगले 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की सभी प्राप्तियों और देय तथा 31 दिसंबर को विद्यमान व्यवसाय संघ की अस्तियों और दायित्वों को अंतर्विष्ट करते हुए विशिष्टियों का एक साधारण विवरण अग्रेषित करेगा ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को, एक ऐसा विवरण, जिसमें उस वर्ष के दौरान, जिसके प्रति ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट है, व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के परिवर्तन दर्शित की जाएंगी, व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी, उस रजिस्ट्रार को जो प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी, अग्रेषित करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि, ऐसा परिवर्तन करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघ से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें ऐसे स्थान पर, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेश किया जाए, किंतु ऐसा कोई भी स्थान व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से पन्द्रह किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा ।

27. (1) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघों को केन्द्र स्तर पर केंद्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किए जाएं, ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को केंद्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और यदि ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उदभूत होता है तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा । केन्द्र और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों की मान्यता ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किए जाएं, व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उदभूत होता है तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा ।

अध्याय 4

स्थायी आदेश

28. (1) इस अध्याय के उपबंध प्रत्येक ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होंगे, जिसमें एक सौ या एक सौ से अधिक, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन नियोजित थे : इस अध्याय का लागू होना ।

परंतु समुचित सरकार ऐसा करने की अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उपबंधों को किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन पर लागू कर सकेगी, जो एक सौ से कम संख्या में ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि जहां इस अध्याय के उपबंध किसी स्थापन को लागू हो गए हैं, उनका ऐसे स्थापन को लागू होना जारी रहेगें यदि तत्पश्चात् किसी समय उसमें एक सौ से कम कर्मकार नियोजित रहते हैं ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध किसी औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होंगे, जब तक उसमें नियोजित कर्मकार ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ।

29. (1) केंद्रीय सरकार सेवा शर्तों और उनसे अनुषंगी या संबंधित अन्य विषयों के संबंध में आदर्श स्थायी आदेश करेगी । केंद्रीय सरकार द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों का बनाया जाना और उनका अस्थायी लागू होना ।

(2) धारा 30 से धारा 36 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, जिसको यह धारा किसी औद्योगिक स्थापन को लागू होती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, जिसको इस संहिता के

अधीन अंतिम रूप से यथा प्रमाणित स्थायी आदेश उस स्थापन में धारा 33 के अधीन लागू होते हैं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेश उस स्थापन में अंगीकृत किए गए समझे जाएंगे और धारा 33 की उपधारा (2) तथा धारा 37 के उपबंध ऐसे आदर्श स्थायी आदेशों को लागू होंगे मानो जैसे कि वे इस प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशों को लागू होते हैं ।

नियोजक द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को तैयार करना तथा उनके प्रमाणन के लिए प्रक्रिया ।

30. (1) नियोजक धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों और ऐसे स्थायी आदेशों में शामिल किए जाने के लिए उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कार्यकलापों की प्रकृति पर विचार करते हुए, उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के लिए, उसके द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य विषयों पर स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार करेगा परंतु यह कि ऐसे उपबंध इस संहिता के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हों और पहली अनुसूची में दिए गए प्रत्येक मामले को कवर करते हों ।

(2) नियोजक स्थायी आदेश के प्रारूप पर व्यवसाय संघों या मान्यताप्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् से परामर्श करेगा और तत्पश्चात् उसकी एक प्रति प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के लिए अग्रेषित करेगा ।

(3) नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उसके भाग पर विनिर्दिष्ट कार्रवाईयों को उस तारीख से छह मास के भीतर पूरा करेगा, इस अध्याय के उपबंध उसके औद्योगिक स्थापन को लागू हो जाते हैं ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारूप की प्राप्ति पर प्रमाणन आफिसर वहां—

(i) जहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में वार्ताकारी संघ है, ऐसे वार्ताकारी संघ को सूचना जारी करेगा ; या

(ii) जहां कोई वार्ताकारी संघ नहीं है, धारा 14 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट वार्ताकारी परिषद् के सदस्यों को सूचना जारी करेगा ; या

(iii) जहां कोई व्यवसाय संघ प्रचालन नहीं कर रहा है, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के ऐसे प्रतिनिधियों को सूचना जारी करेगा, जिनका चयन ऐसी रीति में किया गया है, जो विहित की जाए,

उस विषय में उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए तथा उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने पर वार्ताकारी संघ को या वार्ताकारी परिषद् को या, यथास्थिति, व्यवसाय संघों को या कर्मकारों के प्रतिनिधियों को और यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या प्रारूप स्थायी आदेश को प्रमाणनीय बनाने के लिए ऐसे प्रारूप स्थायी आदेश में कोई उपांतर या परिवर्धन आवश्यक है और इस संबंध में एक लिखित आदेश करेगा ।

(5) स्थायी आदेश इस संहिता के अधीन प्रमाणनीय होगा, यदि—

(क) उसमें पहली अनुसूची, जो औद्योगिक स्थापन को लागू होती है, में दिए गए प्रत्येक विषय के लिए उपबंध हैं ; और

(ख) ऐसे आदेश, अन्यथा इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(6) धारा 32 में निर्दिष्ट प्रमाणन अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह कृत्य होगा कि वह धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए

किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबंधों की न्यायोचित्ता या तर्कसंगतता का अधिनिर्णयन करे ।

(7) प्रमाणकर्ता अधिकारी उपधारा (4) के अधीन स्थायी आदेशों के प्रारूप में उस उपधारा के अधीन उसमें ऐसे उपांतर करने के पश्चात्, यदि कोई हों, और तत्पश्चात् सात दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशों की अधिप्रमाणित प्रतियां नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या व्यवसाय संघ या उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधियों को भेजेगा ।

(8) उपधारा (1) के अधीन स्थायी आदेशों का प्रारूप या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तावित स्थायी आदेशों के प्ररूप के साथ एक विवरण संलग्न होगा, जिसमें औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों, उस व्यवसाय संघ, जिससे वह संबंधित हैं और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, यदि कोई हों, की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं ।

(9) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समान स्थापनों में नियोजकों का कोई समूह उपधारा (1), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए और इस धारा के अधीन स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा, "नियोजक", "व्यवसाय संघ" और "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" पदों में क्रमशः, यथास्थिति, ऐसे समान स्थापनों के अंतर्गत सभी नियोजक, व्यवसाय संघ और वार्ताकारी परिषद् होंगे ।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित स्थायी आदेश, जहां तक वह इस संहिता के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, जारी रहेंगे और उपधारा (7) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश समझे जाएंगे तथा तदनुसार इस अध्याय के उपबंध उन पर लागू होंगे ।

प्रमाणकर्ता अधिकारियों के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

31. (1) प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी के पास साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों की उपस्थिति प्रवर्तित करने और दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझे जाएंगे ।

1974 का 2

(2) किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लिपिकीय या अंकगणतीय भूलों या उसमें किसी आकस्मिक छूट या लोप से उदभूत त्रुटियों को किसी भी समय उस अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी के कार्यालय में उसके उत्तरवर्ती द्वारा ठीक किया जा सकेगा ।

अपीलें ।

32. कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है कोई भी संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, यदि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निपटान करेगा ।

स्थायी आदेशों के प्रचालन की तारीख और उनकी उपलब्धता ।

33. (1) यथास्थिति, स्थायी आदेश या उपांतर स्थायी आदेश, जब तक कि धारा 32 के अधीन कोई अपील न की जाए, उस तारीख से, जिसको उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां धारा 30 की उपधारा (7) के अधीन भेजी गई हैं, तीस दिन के अवसान पर या जहां यथा पूर्वोक्त कोई अपील की गई है, उस तारीख से, जिसको अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी गई हैं, से सात दिन के अवसान पर प्रवर्तित होगा ।

(2) इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथा प्रमाणित स्थायी आदेश के पाठ को नियोजक द्वारा ऐसी भाषा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों की जानकारी के लिए रखा जाएगा ।

स्थायी आदेशों का रजिस्टर ।

34. इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित सभी स्थायी आदेशों की एक प्रति प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक प्ररूप में या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जिसे उस प्रयोजन के लिए रखा गया है, रजिस्टर में फाइल की जाएगी और प्रमाणकर्ता अधिकारी उसकी प्रति उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

स्थायी आदेशों के अस्तित्वावधि और उनका उपांतरण ।

35. (1) धारा 30 की उपधारा (7) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश सिवाय नियोजक और कर्मकार या किसी बातचीत करने वाले संघ या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार के उपांतरित किए जाने के या और उपांतरण के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक उस तारीख से, जिसको स्थायी आदेश या उनका अंतिम उपांतरण प्रवर्तित हुआ था, छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला अन्य निकाय स्थायी आदेशों को उपांतरित कराने के लिए ऐसे आवेदन में, जो विहित किया जाए, प्रमाणन अधिकारी आवेदन कर सकेगा, जिसके साथ प्रस्तावित उपांतरणों की, जिनको किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसी प्रतियां संलग्न होंगी और जहां नियोजक और कर्मकारों या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार द्वारा उपांतरणों का किया जाना प्रस्तावित है, उस करार की एक प्रमाणित प्रति ऐसे आवेदन के साथ फाइल की जाएगी ।

(3) इस संहिता के पूर्वगामी उपबंध उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन की बाबत उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रथम स्थायी आदेशों के प्रमाणन को लागू होते हैं ।

स्थायी आदेशों के खंडन में मौखिक साक्ष्य का ग्राह्य न होना ।

36. इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश में परिवर्धन करने या अन्यथा फेरफार करने या खंडन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी मौखिक साक्ष्य किसी न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

स्थायी आदेशों का निर्वचन आदि ।

37. यदि धारा 30 की उपधारा (7) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने या निर्वचन के बारे में या उस धारा की उपधारा (4) के अधीन किए गए करार के द्वारा उनमे किए गए किसी उपांतरण के बारे में कोई प्रश्न उठे तो नियोजक या कोई कर्मकार या संबंधित कर्मकार या औद्योगिक स्थापन जिसमें कर्मकार नियोजित हैं, के संबंध में वार्ताकारी संघ, जिसमें प्रश्न उठा है, उस अधिकरण को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय

सीमाओं के भीतर ऐसा स्थापन या कार्यालय, अनुभाग या उपक्रम की शाखा अवस्थित है, में प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसा अधिकरण सभी संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय संबंधित नियोजक और कर्मकारों पर अंतिम और बाध्यकर होगा ।

अनुशासनिक कार्यवाहियों को पूरा करने की समय-सीमा और निर्वाह भत्ता संदाय करने का दायित्व ।

38. (1) जहां नियोजक द्वारा किसी कर्मकार को अन्वेषण या उसके विरुद्ध शिकायतों या अवचार की जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबित किया जाता है तो ऐसा अन्वेषण या जांच या जहां कोई अन्वेषण करने के पश्चात् जांच की जाती है, अन्वेषण और जांच दोनों को साधारणतया निलंबन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(2) धारा 30 की उपधारा (7) के अधीन प्रमाणित या धारा 35 के अधीन उपांतरित स्थायी आदेश उपबंध करेंगे कि जहां किसी कर्मकार को उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट निलंबित किया जाता है, किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में नियोजक ऐसे स्थापन या उपक्रम में नियोजित ऐसे कर्मकार को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर निर्वाह भत्ते का उस अवधि के लिए संदाय करेगा जिसके दौरान ऐसे कर्मकार को उसके विरुद्ध अन्वेषण या शिकायतों की जांच या अवचार के आरोपों के दौरान लंबित रखा गया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय निर्वाह भत्ते की रकम—

(क) निलंबन के पहले नब्बे दिन के लिए उस मजदूरी के पचास प्रतिशत की दर पर, जिसका कर्मकार ऐसे निलंबन की तारीख से तुरंत पूर्व हकदार था ; और

(ख) निलंबन की शेष कालावधि के लिए ऐसी मजदूरी के पचहत्तर प्रतिशत की दर पर, यदि ऐसे कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में विलंब प्रत्यक्षत: ऐसे कर्मकार के आचरण के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ।

छूट देने की शक्ति ।

39. समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन या औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या बिना किसी शर्त के छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 5

तब्दीली की सूचना

तब्दीली की सूचना ।

40. कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में किसी ऐसे विषय की बाबत, जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई तब्दीली करने की प्रस्थापना करता है, —

(i) ऐसे कर्मकार को, जिस पर ऐसी तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, प्रस्थापित तब्दीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिए बिना, ऐसी तब्दीली नहीं करेगा अथवा

(ii) ऐसी सूचना देने के इक्कीस दिन के भीतर ऐसी तब्दीली नहीं करेगा :

परंतु ऐसी कोई तब्दीली करने के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी जिसमें कि,—

(क) तब्दीली किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में की गई है ;

अथवा

(ख) वे कर्मकार, जिन पर उस तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ;

(ग) स्थायी आदेशों के अनुसरण से भिन्न शिकायत निवारण समिति के परामर्श से आकस्मिक स्थिति की दशा में, जिसमें पारी या पारी कार्यकरण की अपेक्षा हो ।

समुचित सरकार की छूट देने की शक्ति ।

41. जहां समुचित सरकार की यह राय है कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 39 के उपबंधों का लागू होना, उससे संबंधित नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से संबंधित उद्योग पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, वहां समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को याकिसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अध्याय 6

विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश

विवादों का माध्यस्थम् को स्वैच्छया निर्देश ।

42. (1) जहां कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए सहमत हैं वहां वे विवाद को लिखित करार द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें माध्स्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा ।

(2) जहां माध्यस्थम् करार यह उपबंध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्दिष्ट किया जाए वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबंध करेगा, जो निर्देश पर उस समय कार्य आरंभ करेगा जब मध्यस्थ राय में बराबर बटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस संहिता के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए,हस्ताक्षर करेंगे ।

(4) माध्यस्थम् करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और सुलह अधिकारी उसे ऐसी रीति में रजिस्टर करेगा जैसी विहित की जाए ।

(5) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया हो औरसमुचित सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति हर एक

पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार ऐसी रीति में अधिसूचना जारी कर सकेगी, जैसी विहित की जाए और जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई हो तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं है किंतु विवाद से संपृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह कि,—

(i) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को निर्मुक्त, पदच्युत, छंटनी या अन्यथा पदच्युति द्वारा हटाने से भिन्न कोई औद्योगिक विवाद है तो कर्मकार कामध्यस्थ के समक्ष निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा, —

(क) जहां बातचीत करने वाला संघ या बातचीत करने वाली परिषद् है, वहां, यथास्थिति, बातचीत करने वाले संघ या बातचीत करने वाली परिषद् द्वारा ; या

(ख) जहां बातचीत करने वाला कोई संघ या बातचीत करने वाली परिषद् नहीं है,वहां व्यवसाय संघ द्वारा ; या

(ग) जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है,वहां कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं ;

(ii) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को निर्मुक्त, हटाने, छंटनी या अन्यथा के माध्यम से पदच्युत करने का विवाद है, तो संबंधित कर्मकार का वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

(6) मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा या करेंगे और यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा या करेंगे ।

(7) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के ससंग में की गई किसी हड़ताल या तालाबंदी, जो निर्दिष्ट किए जाने की तारीख को विद्यमान हो, के चालू रखने को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेंगी ।

1996 का 26

(8) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई भी बात इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

43. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, सुलह अधिकारियों के रूप में, जिन्हें मध्यस्थ करने के कर्तव्य से और धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों से भिन्न औद्योगिक विवादों के निपटान का संवर्धन करने के लिए प्रभारित किया जाएगा, उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो वह उचित समझे । सुलह अधिकारी ।

(2) किसी सुलह अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट

क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

औद्योगिक अधिकरण ।

44. (1) समुचित सरकार, औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों को करने के लिए, जो इस संहिता के अधीन उसे सौंपे जाएं, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी और केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार गठित अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेंगे, जैसा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ड) या उस अधिनियम के अधीन परिभाषित है । 1952 का 19

(2) प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य से मिलकर बनेगा, जिसमें से एक सदस्य न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) अधिकरण की न्यायपीठ किसी प्रशासनिक सदस्य या एकल न्यायिक सदस्य या एकल प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगी ।

(4) कोई व्यक्ति अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह, —

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या रहा हो या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित न हो; या

(ख) वह तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो ।

(5) कोई व्यक्ति अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा रखने वाला,अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, श्रम संबंधी, औद्योगिक विवाद या किसी अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार की राय में अधिकरण के लिए उपयोगी हो, में विशेष जानकारी और बीस वर्ष से अन्यून अनुभव न रखता हो ।

(6) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाएं । 2017 का 7

(7) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(8) उपधारा (3) में निर्दिष्ट न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के न तो वेतन और भत्तों, न ही सेवा के निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभप्रद परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(9) अधिकरण की प्रक्रिया (इसके अंतर्गत खंडपीठ की न्यायपीठ में वादों का वितरण सम्मिलित है) वह होगी, जो विहित की जाए, परंतु किसी न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक

सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ केवल निम्नलिखित से संबंधित वाद को ग्रहण करेगी और उसका विनिश्चय करेगी—

(क) किसी स्थायी आदेश का लागू होना और उसका निर्वचन ;

(ख) किसी कर्मकार को निर्मुक्त या पदच्युत करना, जिसके अंतर्गत पदच्युत किए गए कर्मकार की पुन: बहाली या उसे अनुतोष प्रदान करना सम्मिलित है ;

(ग) किसी हड़ताल या तालाबंदी की अविधिमान्यता या अन्यथा ; और

(घ) कर्मकार की छंटनी और स्थापना का बंद किया जाना,

और प्रत्येक पंचाट या आदेश पर दोनों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ; और शेष वादों को अधिकरण की किसी न्यायिक सदस्य या अधिकरण के किसी प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनने वाली खंडपीठ द्वारा ग्रहण किया जाएगा और विनिश्चय किया जाएगा तथा अधिकरण के ऐसे एकल सदस्य द्वारा दिए गए पंचाट पर अकेले उसी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(10) न्यायिक सदस्य वहां अधिकरण की न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा, जहां अधिकरण की न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनती है ।

(11) यदि किसी कारण से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या किसी अधिकरण में रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) उदभूत होती है, तब ऐसी रिक्ति को ऐसी रीति में भरा जाएगा, जो ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या अधिकरण के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति के अनुरूप्य विहित की जाए तथा ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस प्रक्रम पर ऐसी रिक्ति भरी जाती है ।

(12) समुचित सरकार, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के साथ परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करा सकेगी, जितने अधिकरण के कार्यक्रम के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण के गठन की अंतिमता ।

45. समुचित सरकार के अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने वाली अधिसूचना को किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ; और अधिकरण के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही मुख्यत: इस आधार पर ऐसे अधिकरण में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण किसी रीति में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ।

46. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों, जिनमें केंद्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता के प्रश्न अंतर्वलित हैं या वे ऐसी प्रकृति के हैं, कि उनसे एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों के उसमें हितबद्ध होने की संभावना है या वह ऐसे विवादों से प्रभावित हैं, के न्यायनिर्णयन के लिए एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक सदस्य न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

(4) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत सरकार के सचिव या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य रैंक धारण न कर रहा हो, जिसके पास श्रम से संबंधित मामलों से निपटने का पर्याप्त अनुभव न हो ।

(5) न्यायिक सदस्य राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अध्यक्षता करेगा ।

(6) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, उनका वेतन, भत्ते, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के साथ परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विनिश्चय ।

47. (1) यथास्थिति,अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विनिश्चय सदस्यों की सहमति से होंगे ।

(2) यदि अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों का किसी बिन्दु पर मतभेद होता है तो वह उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनमें मतभेद है और समुचित सरकार को निर्देश करेंगे ।

(3) समुचित सरकार उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्देश की प्राप्ति पर अन्य अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करेगी, जो स्वयं बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई करेगा तथा ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का विनिश्चय, यथास्थिति,अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जिसने पहले मामले की सुनवाई की थी, के सदस्यों, जिसके अंतर्गत अन्य अधिकरण का न्यायिक सदस्य है, जिसने तत्पश्चात् मामले की सुनवाई की थी, के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य की निरर्हताएं ।

48. कोई सदस्य क्रमश: किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, यदि,—

(क) वह कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है ; या

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वतंत्र व्यक्ति" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से या उद्योग से जो ऐसे विवाद से प्रत्यक्षत: प्रभावित है, से असंबद्ध है ।

माध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

49. (1) इस संहिता के किन्हीं उपबंधों और उन नियमों, जो इस निमित्त बनाए जा सकेंगे, के अधीन रहते हुए, कोई माध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा माध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण उचित समझे ।

(2) कोई सुलह अधिकारी या अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा इस निमित्त कोई अधिकारीकिसी विद्यमान औद्योगिक विवाद या औद्योगिक विवाद की

आशंका की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् किसी स्थापन द्वारा अधिकृत परिसर जिससे विवाद संबंधित है, में प्रविष्ट हो सकेगा ।

(3) सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वहीं शक्तियां होंगी, जो किसी सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी जांच ;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना ;

(ग) साक्षियों की जांच के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, जो विहित किए जाएं और अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा प्रत्येक जांच या अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी । 1860 का 45

(4) कोई सुलह अधिकारी किसी व्यक्ति की उपस्थिति को ऐसे व्यक्ति की जांच करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित कर सकेगा या उसे बुला सकेगा और किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा जिसके लिए उसके पास औद्योगिक विवाद से सुसंगत विचार करने का आधार है या वह किसी पंचाट को कार्यान्वित करने का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए या इस संहिता के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सुलह अधिकारी को वहीं शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में किसी व्यक्ति की उपस्थिति को प्रवर्तित करने के लिए और उसकी जांच करने के लिए या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए, विवश करने के लिए, विहित हैं । 1908 का 5

(5) समुचित सरकार, यदि उचित समझे तो विचाराधीन मामले में विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को, यथास्थिति,अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को उक्त अधिकरणों के समक्ष किसी कार्यवाही में सलाह देने के लिए असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(6) सभी सुलह अधिकारी और अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझाएगा । 1860 का 45

(7) इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अधिकरण, और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों की लागत और उनसे अनुषंगी लागत, उस अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विवेकाधिकार पर होगी तथा, यथास्थिति,अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को यह अवधारित करने कि किसके द्वारा और किसे तथा किस परिमाण तक और किन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, ऐसी लागतों का संदाय किया जाना है, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी और समुचित सरकार को पात्र व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आवेदन पर उस सरकार द्वारा ऐसी लागतों की उस सरकार द्वारा उसी रीति में वसूली की जाएगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया है ।

(8) प्रत्येक अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345, धारा 346 और धारा 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय 1974 का 2

माना जाएगा ।

(9) अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा या के समक्ष दिया गया प्रत्येक पंचाट, जारी किया गया आदेश या किए गए निपटान का निष्पादन किसी सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1908 का 5

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कर्मकार के सेवोन्मुक्त या उसके पदच्युति कीदशा में समुचित प्रतितोष देने की शक्तियां ।

50. (1) जहां धारा 52 की उपधारा (6) के अधीन, कर्मकार के सेवोन्मुक्त या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिकरण में फाइल किया गया है; या न्यायनिर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है और न्यायनिर्णयन के अनुक्रमों में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवोसमाप्ति का आदेश न्यायोचित नहीं था, तो वह अपने पंचांट द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या सेवा समाप्ति और कर्मकार के बहाली का निदेश ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसा वह ठीक समझे, दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य प्रतितोष जिसके अंतर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवासमाप्ति के बदले में कोई कमतर दंड का पंचाट भी है, दे सकेगा, जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा की जाए।

(2) यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मकार को न्याय के हित में ऐसा अंतरिम अनुतोष मंजूर कर सकेगा जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा की जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर ही विश्वास करेंगे और विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य ग्रहण नहीं करेंगे ।

लंबित मामलों का अंतरण ।

51. (1) इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख पर या से, ऐसे प्रारंभ से तुरंत पूर्व—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, श्रम न्यायालय और अधिकरण में लंबित मामले इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे ; 1947 का 14

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामले इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे । 1947 का 14

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित मामलों से नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर वह ऐसे अंतरण से पूर्व लंबित थे, जैसा ठीक समझा जाए, व्यौहार किया जाएगा ।

निरसित अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं का समायोजन ।

52. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, जोउस रूप में इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा है, इस संहिता के अधीन नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है तो यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में अपनी शेष पदावधि के लिए पद धारण करना जारी 1947 का 14

रखेगा ।

53. (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है या धारा 62 के अधीन कोई सूचना दी गई है तो वहां सुलह अधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुलह कार्यवाहियां आयोजित करेगा : विवाद की सुलह और न्यायनिर्णन ।

परंतु सुलह अधिकारी ऐसा औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् औद्योगिक विवाद से संबंधित ऐसी कार्यवाही आयोजित नहीं करेगा ।

(2) सुलह अधिकारी, विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए, अविलंब विवाद और उसके गुणों और उचित समझौता को प्रभावित करने वाले सभी विषयों का अन्वेषण करेगा और ऐसे सभी बातें कर सकेगा, जो वह विवाद के उचित और सोर्हादपूर्ण समझौते के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे ।

(3) यदि विवाद या विवाद में विषयों में से किसी विषय का समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है, तो सुलह अधिकारी उसकी रिपोर्ट समुचित सरकार या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन सहित भेजेगा ।

(4) यदि कोई ऐसा समझौता नहीं किया जाता तो सुलह अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से, अन्वेषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् संबद्ध पक्षकारों को और समुचित सरकार को तथ्यों के और परिस्थितियों के पूर्ण विवरण के साथ तथा उन कारणों, जो उसकी राय में, जिनके कारण कोई समझौता नहीं हो सका, सहितविवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए और उसका समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को उपवर्णित करने वाली एक रिपोर्ट इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में या अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, भेजेगा ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुलह अधिकारी सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर अवधि, जो समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, के भीतर संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को रिपोर्ट भेजेगा:

परंतु जहां सुलह अधिकारी धारा 62 के अधीन कोई सूचना प्राप्त करता है वहां वह सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के चौदह दिन के भीतर संबद्ध पक्षकारों को और समुचित सरकार को रिपोर्ट भेजेगा :

परंतु यह और कि सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समय को ऐसी अवधि तक बढाया जा सकेगा, जो विवाद के संबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित में सहमत हो ।

(6) कोई संबंधित पक्षकार विहित प्ररूप में अधिकरण को उन मामलों की, जो सुलह अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन उस तारीख से, जिसको संबंधित पक्षकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त की गई है, से नब्बे दिन के भीतर नहीं निपटाए गए हैं, के लिए आवेदन कर सकेगा और अधिकरण ऐसे आवेदन का विहित रीति में विनिश्चय करेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्य ।

54. (1) केंद्रीय सरकार किसी औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न अंतर्वलित है या वह ऐसी प्रकृति का है, जिसमें एक से अधिक राज्यों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनाओं के हितबद्ध होने की या ऐसे औद्योगिक विवाद से प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) जिसमें केंद्रीय सरकार द्वाराराष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को उपधारा (1) के अधीन कोई औद्योगिक विवाद निर्दिष्ट किया गया है या धारा 91 के अधीन अधिनिर्णयन के लिए औद्योगिक विवाद अंतरित किया गयाहै, वहां वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रतापूर्वक करेगा और ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट या अंतरण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या केंद्रीय सरकार द्वारा आगे और विस्तारित की गई अवधि के भीतर अपने पंचाट को ऐसी सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अधिनिर्णय का प्ररूप, उसकी संसूचना और प्रारंभ ।

55. (1) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का अधिनिर्णय लिखित में होगा और उस पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या अन्यथा न्यायिक सदस्य तथा प्रशासनिक सदस्य दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक माध्यस्थम् पंचाट और अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का प्रत्येक अधिनिर्णय संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

(3) इस संहिता के अधीन किया गया कोई पंचाट उपधारा (2) के अधीन उसकी संसूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परंतु—

(क) यदि किसी भी मामले में समुचित सरकार की यह राय है, कि जहां अधिकरण द्वारा अपील में किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में पंचाट दिया गया है, जिसका वह एक पक्षकार है ; या

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार की किसी भी मामले में राय है, जहां अधिनिर्णय राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट द्वारा दिया गया है,

कि यह संपूर्ण पंचांट या उसके किसी भाग को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले जन आधारों पर असमीचीन होगा, समुचित सरकार या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि पंचांट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के परंतुक के अधीन पंचाट के संबंध में कोई घोषणा की गई है, यथास्थिति, समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन पंचाट की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिनिर्णय को नामंजूर करने वाला या उसे उपांतरित करने वाला आदेश कर सकेगी और प्रथम उपलब्ध अवसर पर, यदि आदेश राज्य सरकारा द्वारा किया गया है तो राज्य के विधान-मंडल के समक्ष, या यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है तो संसद् के समक्ष आदेश की प्रति सहित पंचाट को रखेगी ।

(5) जहां राज्य विधान-मंडल के समक्ष या संसद् के समक्ष उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा कोई पंचाट यथा अस्वीकृत या उपांतरित रूप में रखा जाता है तो तब ऐसा पंचाट उस तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा,

जिसको इसे इस प्रकार रखा जाता है; और जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश उपधारा (3) के परंतुक के अधीन घोषणा के अनुसरण में किया जाता है तो अधिनिर्णय उपधारा (4) में निर्दिष्ट नब्बे दिनों की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा ।

(6) पंचाट की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंचाट उस तारीख से प्रवृत होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु जहां कोई तारीख इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, वहां यह उस तारीख को प्रवृत होगा जब पंचाट, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियां लंबित रहने तक कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय ।

56. जहां किसी भी मामले में अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपने पंचाट के अनुसार किसी कर्मकार की बहाली का निदेश देता है और नियोजक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसे पंचाट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि के दौरान उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई पूर्ण मजदूरी, जिसके अंतर्गत किसी नियम के अधीन उसको अनुज्ञेय कोई भरण पोषण भत्ता भी है, का संदाय करने का दायी होगा, यदि कर्मकार ऐसी अवधि के दौरान किसी स्थापन में नियोजित किया गया था और ऐसे कर्मकार द्वारा शपथपत्र ऐसे न्यायालय में उस प्रभाव के लिए फाइल किया गया था:

परंतु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसा कर्मकार नियोजित किया गया था और ऐसी किसी अवधि या उसके भाग के दौरान पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि, यथास्थिति, ऐसी अवधि या उसके भाग के लिए इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी ।

ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे ।

57. (1) सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा भिन्न नियोजक और कर्मकार के बीच करार द्वारा किया गया समझौता करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा माध्यस्थम् अधिनिर्णय, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के ऐसे पक्षकारों, जिन्होंने विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया है, पर आबद्धकर होगा ।

(3) इस संहिता या माध्यस्थम् या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता—

(क) औद्योगिक विवादों के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा;

(ख) विवाद के पक्षकारों के रूप में कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए आहूत सभी अन्य पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपनी यह राय अभिलिखित नहीं कर देता है कि उन्हें बिना उचित कारण के इस प्रकार आहूत किया गया था ;

(ग) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार नियोजक है वहां ऐसे स्थापन, जिससे विवाद संबंधित है, के संबंध में उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर आबद्धकर होगा ;

(घ) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी पक्षकार पर, जो ऐसे

कर्मकारों, ऐसे सभी व्यक्तियों जो, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या स्थापन के भाग में नियोजित किए गए थे जिनसे विवाद की तारीख को विवाद संबंधित है और ऐसे व्यक्तियों, जो तत्पश्चात् उस स्थापन या उसके भाग में नियोजित हुए हैं, से मिलकर बना है, आबद्धकर होगा ।

समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की अवधि ।

58.(1) कोई समझौता ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जो विवाद के पक्षकारों के बीच करार पाई जाए और यदि किसी तारीख पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख को जिसको समझौता ज्ञापन विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, प्रवृत्त होगा ।

(2) ऐसा समझौता ऐसी अवधि के लिए आबद्धकर होगा जो पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए और यदि किसी ऐसी अवधि पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख से जिसको विवाद के पक्षकारों द्वारा समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है, छह मास की अवधि के लिए, और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पक्षकारों पर उस तारीख से जिसको अन्य पक्षकार के पक्षकारों या समझौता के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा समझौता समाप्त करने के आशय की लिखित में सूचना दी जाती है, दो मास समाप्त होने तक आबद्धकर बना रहेगा ।

(3) अधिनिर्णय, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से, जिसको अधिनिर्णय धारा 53 के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा :

परंतु समुचित सरकार उक्त अवधि को कम कर सकेगी और ऐसी अवधि नियत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि समुचित सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रवर्तन की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक की किसी अवधि तक बढ़ा सकेगी, जो इस प्रकार वह ठीक समझे, तथापि कि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल अवधि उस तारीख से जिसको यह प्रवृत होता है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां समुचित सरकार, चाहे स्वप्रेरणा से या अधिनिर्णय द्वारा आबद्धकर किसी पक्षकार के आवेदन पर, यह समझती है कि क्योंकि अधिनिर्णय किया गया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ऐसे तात्विक परिवर्तन हुए हैं जिन पर यह आधारित था, वहां समुचित सरकार अधिनिर्णय या उसके किसी भाग को अधिकरण को, यदि अधिनिर्णय अधिकरण द्वारा किया जाता है, विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी चाहे प्रवर्तन की अवधि ऐसे परिवर्तन के कारण कम नहीं की जानी चाहिए और ऐसे निर्देश पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) उपधारा (3) की कोई बात ऐसे किसी अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी जो इसके प्रकार, निबंधनों और अन्य परिस्थितियों के अनुसार अधिनिर्णय द्वारा आबद्धकर पक्षकारों पर कोई सतत् बाध्यता इसको प्रभावी कर दिए जाने के पश्चात् अधिरोपित नहीं करती है।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति के होते हुए भी, अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर बना रहेगा जब तक दो मास की अवधि उस तारीख से व्यपगत न हो गई हो जिसको सूचना अधिनिर्णय से आबद्धकर किसी पक्षकार

द्वारा दूसरे पक्षकार को या पक्षकारों को अधिनिर्णय समाप्त करने के अपने आशय की सूचना देते हुए दी गई है ।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन दी गई कोई सूचना का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, वह समझौता या अधिनिर्णय द्वारा आबद्धकर व्यक्तियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पक्षकार द्वारा नहीं दे दी जाती है।

नियोजक से शोध्य धन की वसूली ।

59. (1) जहां कर्मकार को नियोजक से किसी समझौते या पंचाट के अधीन अथवा अध्याय 9 या अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई धन शोध्य है, तो स्वयं कर्मकार या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रुप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा कर्मकार की मृत्यु की दशा में उसका समनुदेशिती या उत्तराधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके बकाया धन की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकेगा और समुचित सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, वह जिलाधीश को उस रकम के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी जो भू-राजस्व की शोध्य के समान उसकी वसूली के लिए अग्रसर होगा :

परंतु ऐसा प्रत्येक आवेदन उस तारीख जिसको ऐसा धन नियोजक से कर्मकार को शोध्य हो जाता है, से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई आवेदन उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन नहीं किए जाने का पर्याप्त कारण था ।

(2) जहां कोई कर्मकार, नियोजक से कोई धन या कोई फायदा जो धन की निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य है, प्राप्त करने का हकदार है और यदि कोई प्रश्न शोध्य धन की रकम के बारे में या ऐसी रकम जिस पर ऐसा फायदा संगणित किया जाना चाहिए, के बारे में उत्पन्न होता है तब वह प्रश्न, इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकरण द्वारा, जो इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तीन मास की अवधि के भीतर विनिश्चित किया जा सकेगा:

परंतु जहां अधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह कारण अभिलिखित करते हुए ऐसी अवधि को ऐसी और अवधि द्वारा जैसा कि वह उचित समझे विस्तारित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट फायदे का धनमूल्य संगणित करने के प्रयोजन के लिए, अधिकरण यदि ऐसा करना उचित समझे, कमिशनर की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसा कमिशनर ऐसा साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, लेने के पश्चात् अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिकरण कमिशनर की रिपोर्ट या मामले की अन्य परिस्थितियों, पर विचार करने के पश्चात् उस रकम को अवधारित करेगा ।

(4) अधिकरण का विनिश्चय समुचित सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और अधिकरण द्वारा शोध्य पाई गई कोई रकम उपधारा (1) में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

(5) समान नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या धन की निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य कोई फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं तब ऐसे नियमों जो इस संबंध में बनाए जाए, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे कर्मकारों की किन्हीं

संख्या की ओर से या के संबंध में, शोध्य रकम की वसूली के लिए एकल आवेदन कर सकेंगे ।

सुलह कार्यवाहियों का प्रारंभ और समाप्ति ।

60. (1) सुलह कार्यवाहियां, उस तारीख को जिसको सुलह अधिकारी द्वारा हड़ताल या तालाबंदी की सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, सुलह अधिकारी द्वारा पहली बैठक आयोजित की जाती है, प्रारंभ हुई समझी जाएगी ।

(2) सुलह कार्यवाही समाप्त हुई समझी जाएगी,—

(क) जहां परिनिर्धारण किया जाता है, तब विवाद के पक्षकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है ;

(ख) जहां परिनिर्धारण नहीं किया जाता है और सुलह अधिकारी द्वारा सुलह कार्यवाही नहीं हो पाना अभिलिखित किया जाता है ; या

(ग) जब सुलह कार्यवाहियों के लंबित होने के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को इस संहिता के अधीन निर्देश किया जाता है ।

(3) इस संहिता के अधीन मध्यस्थ या अधिकरण अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां, यथास्थिति, आवेदन या अपील दाखिल करने की तारीख को अथवा मध्यस्थता या न्यायनिर्णयन के लिए मामले का निर्देश करने की तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी और ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख को जिसको ऐसा अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हो जाता है, समाप्त हुई समझी जाएगी ।

कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना ।

61. व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारबार के बारे में (चाहे उसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी चलाती हो) किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से अन्यथा भिन्न उपलब्ध नहीं है, इस संहिता के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि प्रश्नगत व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कंपनी ने, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण से लिखित में यह अनुरोध किया हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाएगी और न ही ऐसा सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे संपृक्त कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या प्रश्नगत व्यक्ति, फर्म या कंपनी की, लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा :

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसी किसी जानकारी के भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने को लागू नहीं होगी । 1860 का 45

अध्याय 8

हड़ताल और तालाबंदी

हड़ताल और तालाबंदियों का प्रतिषेध ।

62. (1) औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई भी व्यक्ति—

(क) हड़ताल करने से पूर्व साठ दिवस के भीतर हड़ताल की सूचना नियोजक को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रुप में दिए बिना ; या

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन की भीतर ; अथवा

(ग) किसी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व ; अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्ही सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; या

(ङ) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के दौरान ; या

(च) मध्यस्थ के समक्ष की किन्ही माध्यस्थम कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के दौरान, जहां अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अंतर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है, के दौरान संविदा-भंगकारी हड़ताल नहीं करेगा ।

(2) किसी औद्योगिक स्थापन का कोई भी नियोजक,—

(क) तालाबंदी करने से पूर्व साठ दिवस के भीतर तालाबंदी की सूचना संबद्ध कर्मकार को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रुप में दिए बिना ; अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर ; अथवा

(ग) किसी यथा पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबंदी की तारीख के अवसान से पूर्व ; अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्ही सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; अथवा

(ङ) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की किन्ही कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के दौरान ; अथवा

(च) मध्यस्थ के समक्ष की किन्ही माध्यस्थम कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के दौरान जहां अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अंतर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है, के दौरान,

अपने किन्ही भी कर्मकारों के प्रति तालाबंदी नहीं करेगा ।

(3) हड़ताल या तालाबंदी की इस धारा के अधीन सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां, यथास्थिति, हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही विद्यमान है किन्तु नियोजक ऐसी तालाबंदी या हड़ताल की प्रज्ञापना उस दिन, जिस दिन वह घोषित की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशिष्ट क्षेत्र के लिए या सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, और ऐसी रीति से दी जाएगी, जो विहित किए जाएं या की जाए ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना ऐसी रीति से दी जाएगी, जैसा विहित की जाए ।

(6) यदि किसी दिन नियोजक उसके द्वारा नियोजित किन्ही व्यक्तियों से कोई ऐसी सूचनाएं, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, प्राप्त करता है या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति ऐसी कोई सूचनाएं, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट हैं, देता है तो वह उसके दो दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह सरकार विहित करे और सुलह अधिकारी को, उस दिन प्राप्त की गई या दी गई ऐसी सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट देगा।

अवैध हड़तालें और तालाबंदियां ।

63. (1) यदि हड़ताल या तालाबंदी—

(i) धारा 62 के उल्लंघन में प्रारंभ या घोषित की जाती है ; या

(ii) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है,

तो वह अवैध होगी ।

(2) जहां कि कोई हड़ताल या तालाबंदी किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण में पहले ही आरंभ हो चुकी है और अधिकरण में ऐसे औद्योगिक विवाद से संबंधित आवेदन के फाइल किए जाने के या मध्यस्थ या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को ऐसे औद्योगिक विवाद के निर्देश के समय विद्यमान है, वहां ऐसी हड़ताल या तालाबंदी का चालू रखा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा, परंतु यह तब जबकि ऐसी हड़ताल या तालाबंदी अपने प्रारंभ के समय इस संहिता के उपबंधों के उल्लघंन में न रही हो या उसका चालू रखा जाना धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।

(3) अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित तालाबंदी या अवैध तालाबंदी के परिणामस्वरूप घोषित हड़ताल अवैध नहीं समझी जाएगी ।

अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध ।

64. कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में किसी धन का व्यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा ।

अध्याय 9

कामबंदी, छटनी और बंदी

धारा 67 से धारा 69 का लागू होना ।

65. (1) धारा 67 से धारा 69 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं) उन औद्योगिक स्थापनों को, जिन्हें अध्याय 10 लागू होता है, अथवा—

(क) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसत पचास से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं, अथवा

(ख) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है,

लागू नहीं होगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उदभूत होता है कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या उसमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 67, धारा 68 और धारा 69 में औद्योगिक स्थापन से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

1948 का 63

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कारखाना, अथवा

1952 कर 35

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान, अथवा

1951 का 69

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान ।

निरंतर सेवा की परिभाषा ।

66. इस अध्याय में, किसी कर्मकार के संबंध निरंतर सेवा से ऐसे कर्मकार की अविछिन्न सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुटटी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहां कर्मकार एक वर्ष या छह मास की अवधि के लिए निरंतर सेवा में नहीं है वहां,—

(क) यदि उसने, उस तारीख से, जिसके प्रतिनिर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के बारह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है एक सौ नब्बे दिन से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस दिन से,

अन्यून दिनों तक किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ;

(ख) यदि उसने उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के छह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पचानवे दिन से; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, एक सौ बीस दिन से,

अन्यून दिनों तक, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजन के लिए, ऐसे दिनों की संख्या, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, में वे दिन भी सम्मिलित होंगे,

जिनको--

(i) उसकी किसी करार के अधीन या इस संहिता या उस स्थापन को लागू किसी तत्समय प्रवृत अन्य विधि के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी की गई हैं; या

(ii) वह पूर्व वर्षों में उपार्जित पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर रहा है; या

(iii) वह अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में, उदभूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थाई दिव्यांगता के कारण अनुपस्थित रहा है; या

(iv) नारी की दशा में वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल अवधि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो । 1961 का 53

जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर, आदि के लिए अधिकार ।

67. जब कभी (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरन्तर चाहे आन्तरायिक रूप से कामबंदी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय, जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए, जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबंदी की जाए, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्तें के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंदी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा :

परंतु यदि बारह मास की किसी कालावधि के दौरान कर्मकार की पैंतालीस दिन से अधिक की इस प्रकार कामबंदी की जाए तो उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा में संदेय नहीं होगा जिसमें कर्मकार और नियोजक के बीच उस भाव का कोई करार हो :

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छंटनी धारा 70 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् किसी भी समय कर दे और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कामबंदी की जाने के लिए कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा, जो छंटनी के लिए संदेय हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "बदली कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किन्तु यदि उसने स्थापन में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा ।

कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

68. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबंदी की गई है, हर नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, तो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना ।

69. उस कर्मकार को, जिसकी कामबंदी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, जिसमें कि—

(i) वह उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक

के किसी दूसरे स्थापन में, जो उसी नगर या गांव में या जिस स्थापन का वह है, उससे आठ किलोमीटर की परिधि के अन्दर, स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है, यदि नियोजक की राय में ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परंतु यह तब जबकि कर्मकार को, उस मजदूरी की, जो उसे प्रसामान्यतया दी गई होती, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिए भी की गई हो ;

(ii) वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता ;

(iii) ऐसी कामबंदी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन-गति मन्द किए जाने के कारण की गई हो ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें ।

70. किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि--

(क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय किया गया हो ;

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर का संदाय किया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिवसों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं के औसत वेतन के बराबर हो ; और

(ग) सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कर दी गई हो ।

छंटनी के लिए प्रक्रिया ।

71. जहां कि किसी औद्योगिक स्थापन के किसी ऐसे कर्मकार की, जो भारत का नागरिक है, छंटनी की जानी हो और वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां नियोजक ऐसे कारणों से, जब तक कारण अभिलिखित न किए जाएं, किसी अन्य कर्मकार छंटनी करता है, नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में, नियोजक, मामूली तौर से उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति हो ।

छंटनी किए गए कर्मकार का पुन:नियोजन ।

72. जहां कि किसी कर्मकार की छंटनी की जाती है और नियोजक, ऐसी छंटनी से एक वर्ष के भीतर किसी व्यक्ति को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहां वह उन छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, यह अवसर देगा कि पुन:नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करें और छंटनी किए गए उन कर्मकारों को, जो पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापित करें, अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा ।

स्थापन के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

73. जहां किसी स्थापन के स्वामित्व या प्रबंध, उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक से किसी नए नियोजक को चाहे करार द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरित किया जाता है, वहां हर कर्मकार, जो ऐसे अंतरण से ठीक पहले उस स्थापन में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परंतु इस धारा की कोई भी बात, उस दशा में जिसमें कि अंतरण के कारण नियोजकों में कोई परिवर्तन हुआ हो, तब लागू नहीं होगी जब तक--

(क) ऐसे अंतरण द्वारा कर्मकार की सेवा में व्यवधान पैदा न हुआ हो ;

(ख) ऐसे अन्तरण के पश्चात् कर्मकार को लागू सेवा के निबन्धन और शर्तें कर्मकार के लिए किसी भी प्रकार उन निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों जो अन्तरण से ठीक पहले उसे लागू थीं ; और

(ग) नया नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर रही है और अंतरण द्वारा वह उसमें व्यवधान पैदा नहीं हुआ है, ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन अथवा अन्यथा, प्रतिकर देने के लिए वैध रूप से दायी हो ।

किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना ।

74. (1) कोई नियोजक, जो किसी उपक्रम को, बंद करने का आशय रखता है, उस तारीख के, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व, समुचित सरकार को उपक्रम के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट रुप से कथन करते हुए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक सूचना देगा :

परंतु इस धारा की कोई बात--

(i) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जिसमें पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ii) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के संनिर्माण के लिए अथवा अन्य संनिर्माण कार्य या परियोजना के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कि यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं ऐसी आपवादिक परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या किसी असाधारण परिस्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

उपक्रमों को बंद कर दिए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

75. (1) जहां कि कोई स्थापन किसी भी कारणवश, वह जो भी हो, बंद कर दिया जाता है, वहां हर कर्मकार, जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 69 के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परंतु जहां उपक्रम, नियोजक के नियंत्रक के परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है, वहां धारा 70 के खंड (ख) के अधीन कर्मकार को संदत्त किए जाने वाला प्रतिकर तीन मास तक के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के बारे में, जो केवल—

(i) वित्तीय कठिनाइयों के, (जिनके अंतर्गत वित्तीय हानियां भी हैं), कारण ;

(ii) या अव्ययनित स्टाक के संचय के कारण ; या

(iii) उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान के कारण ; या

(iv) उस दशा में, जब कि उपक्रम खनन संक्रियाओं में लगा हो, उस क्षेत्र में खनिजों के नि:शेषण के कारण, जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो,

बंद किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परंतुक के अर्थ के अंदर नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम उस क्षेत्र में जिसमें ऐसी संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के नि:शेषण के कारण बंद किया गया है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कर्मकार धारा 70 के उपबंधों के अनुसार किसी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, यदि—

(क) बंद होने की तारीख से नियोजक, कर्मकार को ऐसे स्थान पर, जो खनन संक्रिया में लगे उपक्रम, जिसे बंद कर दिया गया है, से बीस किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित है, उसी पारिश्रमिक पर, जिसे प्राप्त करने का वह हकदार था और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो बंद होने के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था कर देता है ;

(ख) कर्मकार की सेवा में ऐसे अनुकल्पी नियोजन से व्यवधान पैदा न हुआ हो ; और

(ग) नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा भंग नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा प्रतिकर के संदाय का वैध रूप से दायी हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, "खनिजों" और "खनन संक्रियाओं" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (क) और खंड (घ) में क्रमश: उनके हैं ।

1957 का 67

(4) जहां भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों या बांधों के सन्निर्माण के लिए या अन्य सन्निर्माण कामों के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से, जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, दो वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है, वहां उसमें नियोजित कोई भी कर्मकार, धारा 70 के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, किन्तु यदि वह सन्निर्माण कार्य इस प्रकार दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो जाता, तो वह कर्मकार निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिकर का हकदार

होगा ।

इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव ।

76. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत अध्याय 4 के अधीन किए गए स्थायी आदेश भी हैं, इनसे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परंतु यह कि जहां किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन जारी किए गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा-संविदा के अधीन या अन्यथा, कोई कर्मकार किसी ऐसे विषय की बाबत ऐसे फायदों का हकदार है, जो उसके लिए उन फायदों से, जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है वहां, कर्मकार, इस बात के होते हुए भी कि वह इस अध्याय के अधीन अन्य बातों की बाबत फायदा प्राप्त करता है, उस विषय की बाबत अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डालती है, किन्तु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबंदी और छंटनी से है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।

अध्याय 10

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध

इस अध्याय का लागू होना ।

77. (1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रति कार्य-दिवस में कम से कम एक सौ कर्मकार या ऐसी संख्या में कर्मकार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं नियोजित थे ।

परंतु जहां इस संहिता के प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे राज्य के तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य में एक सौ कर्मकारों से अधिक कर्मकारों की ऐसी अवसीमा प्रवृत्त है, वहां ऐसी अवसीमा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, इसे सक्षम विधान द्वारा संशोधित किए जाने तक अभिभावी रहेगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कारखाना ; 1948 का 63

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान ; अथवा 1952 का 35

1951 का 69

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान ;

(ख) धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी,--

(i) किसी ऐसी कंपनी के संबंध में, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा धृत है ; अथवा

(ii) किसी ऐसे निगम के संबंध में, (जो धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट निगम नहीं है) जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है,

केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी ।

कामबंदी का प्रतिषेध ।

78. (1) किसी कर्मकार की (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उसके नियोजक द्वारा कामबंदी समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जिसे इस निमित्त उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा के बिना, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो, तभी की जाएगी, जब कि ऐसी कामबंदी विद्युत की कमी या प्राकृतिक आपदा और किसी खान की दशा में, ऐसी कामबंदी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण की गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा ऐसी विहित रीति से आशयित कामबंदी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर साथ-साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान हैं, (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) कर्मकारों की उपधारा (1) के अधीन अग्नि, बाढ़, या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबंदी कर दी गई है, वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक, ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार और ऐसी कामबंदी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी कामबंदी के कारणों की असलीयत और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने

से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन तदनुसार, यथास्थिति, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(7) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा:

परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां कामबंदी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबंदी को, उस तारीख से, जिसको कर्मकारों की कामबंदी की गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबंदी नहीं की गई थी ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(10) धारा 67 के उपबंध (उसके द्वितीय परंतुक से भिन्न) इस धारा में निर्दिष्ट कामबंदी के मामलों को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की कामबंदी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी, जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई वैकल्पिक नियोजन (जिसके लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है) उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई थी या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है या जो उस स्थापन से, जिसमें वह कर्मकार है, इतनी दूरी पर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके स्थानांतरण से उसे असम्यक् कष्ट नहीं होगा, देता है परन्तु यह तब जब कि कर्मकार को सामान्यत: रूप से जितनी मजदूरी संदत्त की

जाती है, उतनी ही मजदूरी उसे वैकल्पिक नियुक्ति के लिए भी दी जाए ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें, जिनको अध्याय 10 लागू होता है ।

79. (1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार को, जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी, जब कि,—

(क) कर्मकार को छंटनी के कारणों को उपदर्शित करते हुए लिखित में तीन मास का नोटिस दिया गया है और नोटिस की कालावधि का अवसान हो गया हो और ऐसे नोटिस के बदले में कर्मकार को नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो ; और

(ख) समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है) पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर भी तामील की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियोजक द्वारा कथित कारणों की असलियत और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को संसूचित की जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियोजक को ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन तदनुसार, यथास्थिति, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(5) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है

विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा :

परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से, जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों, जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(9) जहां उपधारा (3) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई या उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक उसके किसी भाग के लिए, पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिन जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के बराबर है ।

उपक्रम बंद किए जाने की प्रक्रिया ।

80. (1) कोई नियोजक, जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, उपक्रम की आशयित बंदी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए विहित रीति से, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पूर्व, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ-साथ आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधि को भी तामील की जाएगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक, कर्मकार और ऐसे बंद किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, नियोजक द्वारा कथित कारणों की असलियत और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर

नियोजक को अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नहीं देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन, तदनुसार, यथास्थिति, समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाला समुचित सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

(5) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा :

परंतु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बंद किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के हकदार होंगे मानो उपक्रम बंद ही नहीं किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आसाधारण परिस्थितियों के कारण जेसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी की कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(8) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिनों के औसत वेतन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं के बराबर है ।

कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

81. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबंदी की गई है, हर नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

अध्याय 9 के कतिपय उपबंधों का ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होना, जिसे यह अध्याय लागू होता है ।

82. अध्याय 9 की धारा 66, धारा 71, धारा 72, धारा 73 और धारा 76 के उपबंध, किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं, संबंध में यथाशक्य रूप से लागू होंगे ।

अध्याय 11

कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि

कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि ।

83. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) नामक एक निधि को स्थापित करेगी ।

(2) इस निधि में—

(क) किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक का, ऐसा अभिदाय, जो छंटनी या स्थापन को बंद किए जाने से ठीक पूर्व प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकार के पंद्रह दिन या ऐसे अन्य दिनों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के बराबर रकम ;

(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से अभिदाय, जो समुचित सरकार द्वारा निहित किए जाएं, से,

सम्मिलित होगा ।

(3) इस निधि का उपयोग, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, छंटनी या बंदी द्वारा प्रभावित कर्मकारों के पुनः- कौशल हेतु किया जाएगा ।

अध्याय 12

अनुचित श्रम व्यवहार

अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध ।

84. कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा ।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

कतिपय मामलों में समुचित सरकार के अधिकारियों की जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति ।

85. (1) धारा 84 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, धारा 86 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार, कोई अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार में समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी को, जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई

दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु से सुसंगत हो या उपयोगी हो, समन करने और हाजिरी प्रवर्तित कराने की शक्ति होगी, और यदि ऐसी जांच करने पर उसका समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है, वह ऐसी शास्ति, जो वह ऐसे उपबंधों के अनुसार उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

शास्तियां ।

86. (1) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन करता है, तो वह दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन करता है, तो, वह दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो किसी अनुचित श्रम व्यवहार के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को करता है, तो, वह दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(7) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ओर से इस संहिता द्वारा या इसके किसी उपबंध के अधीन यथा अपेक्षित कोई नोटिस देने या कोई विवरण या अन्य दस्तावेज भेजने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो पदधारी, या उसे देने या भेजने के लिए व्यवसाय संघ के नियमों द्वारा आबद्धकर अन्य व्यक्ति, या यदि ऐसा कोई पदधारी या व्यक्ति नहीं है, तो व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, पचास रुपए प्रति दिन, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(8) कोई व्यक्ति, जो धारा 26 द्वारा या उस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गए नियमों या नियमों के परिवर्तन की किसी प्रति में या से अपेक्षित साधारण विवरण में

जानबूझकर कोई असत्य प्रविष्टि करता है या करवाता है अथवा कोई लोप करता है या करवाता है, तो जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(9) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी भी सदस्य को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यवसाय संघ का सदस्य होने का आशय रखता है या होने के लिए आवेदन करता है, कोई ऐसा दस्तावेज प्रवंचन करने के आशय से देगा, जो व्यवसाय संघ के नियमों की या उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों की एक प्रतिलिपि तात्पर्यित है और जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह ऐसे नियमों या परिवर्तनों की शुद्ध प्रतिलिपि नहीं है, जो तत्समय प्रवृत्त है, या कोई भी व्यक्ति, जो वैसे ही आशय से किसी व्यक्ति को किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों की कोई प्रति इस बहाने से देगा कि ऐसे नियम रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियम हैं, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(10) कोई नियोजक, जो स्थायी आदेशों का प्रारूप धारा 30 द्वारा यथा अपेक्षित निवेदित करने में असफल रहेगा या जो अपने स्थायी आदेशों को धारा 35 के अनुसार उपांतरित करने से अन्यथा उपांतरित करेगा, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और अपराध निरंतर जारी रहने की दशा में, जब तक अपराध जारी रहता है, दो हजार रुपए प्रतिदिन के अतिरिक्त जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(11) कोई नियोजक, जो इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(12) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (11) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को करता है तो वह दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(13) कोई कर्मकार, जो ऐसी हड़ताल, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(14) कोई नियोजक, जो ऐसी तालाबंदी, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या एक मास के कारावास से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(15) कोई व्यक्ति, जो ऐसी हड़ताल या तालाबंदी, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाता है या उदीप्त करता या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु

जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(16) कोई व्यक्ति, जो किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(17) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस संहिता के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(18) जहां उपधारा (17) के अधीन कोई भंग जारी रहने वाला है, वहां अपराधी अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग, ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में ऐसे भंग से प्रभावित हुआ है, प्रतिकर के रूप में संदत्त किया जाएगा ।

(19) कोई व्यक्ति, जो धारा 61 में निर्दिष्ट किसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करता है, तो प्रभावित व्यवसाय संघ, द्वारा या व्यष्टिक कारबार द्वारा या जिस पर प्रभाव पड़ा हो, उसकी ओर से, किए गए परिवाद पर, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(20) कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के किसी ऐसे अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है, जो उपधारा (1) से उपधारा (19) के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नहीं आता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

87. (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं करेगा । अपराधों का संज्ञान ।

1974 का 2 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा

88. (1) इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध करने के समय भार साधन में था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, के साथ-साथ कंपनी, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा : कंपनियों द्वारा अपराध ।

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं करेगी यदि वह यह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस संहिता के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उनकी ओर से किसी अवहेलना के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाही करने और दंडित करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई कॉरपोरेट निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) कोई फर्म ; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी ; या 2009 का 6

(iii) व्यष्टियों का अन्य संगम ।

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का शमन ।

89. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से दंडनीय न हो, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात्, किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की रकम से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसका शमन किया जा सकेगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे बार किए गए अपराध को या तत्पश्चात् निम्नलिखित तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर लागू नहीं होगी—

(क) समान अपराध करने के लिए जिसका पहले ही शमन किया गया था ;

(ख) समान अपराध करने के लिए जिसके लिए व्यक्ति पहले दोषसिद्ध किया गया था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यधीन किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का

इस प्रकार शमन किया जाता है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, ऐसा शमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रुप में धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उस न्यायनिर्णयन अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन के संबंध में दिए जाने वाले ऐसे नोटिस से, व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, उन्मोचन किया जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के 20 प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अधीन और अनुसार के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कतिपय परिस्थितियों के अधीन सेवा की शर्तों इत्यादि का अपरिवर्तित रहना ।

90. (1) धारा 40 के अधीन किसी नियोजक द्वारा जारी परिवर्तन के नोटिस के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां किसी स्थापन या उपक्रम से संबंधित कोई औद्योगिक विवाद, यथास्थिति, किसी सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या बोर्ड या अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष पहले ही लंबित है, वहां कोई नियोजक, प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित रुप में स्पष्ट अनुज्ञा के सिवाय,—

(क) ऐसे विवाद से संबंधित किसी मामले के संबंध में ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए उन पर लागू सेवा की शर्तों को ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ से पूर्व तत्काल परिवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) इस विवाद से संबंधित किसी कदाचार के लिए, ऐसे विवाद से संबंधित किसी कर्मकार को उन्मोचित या दंडित, चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, नियोजक ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां ऐसे स्थायी आदेश नहीं है, वहां उसके और कर्मकार के मध्य संविदा के निबंधनों के अनुसार चाहे स्पष्ट हो या विवक्षित—

(क) विवाद से असंबद्ध किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को परिवर्तित करेगा ; या

(ख) विवाद से असम्बद्ध किसी कदाचार के लिए उस कर्मकार को चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित करेगा :

परंतु ऐसे किसी कर्मकार को तब तक उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसको एक मास की मजदूरी संदत्त नहीं की जाती है और नियोजक द्वारा प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, नियोजक द्वारा की गई कार्यवाही के

अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई नियोजक, प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित रूप में स्पष्ट अनुज्ञा के सिवाय, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे विवाद में किसी संबंधित संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा--

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पूर्व उसको लागू सेवा की शर्तें ऐसे संरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए परिवर्तित करके ; या

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित करते हुए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थापन के संबंध में "संरक्षित कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जिसे उस स्थापन से संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार इस रुप में मान्यताप्राप्त है ।

(4) हर स्थापन में, ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रुप में मान्यताप्राप्त होगी उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का एक प्रतिशत होगी, किंतु संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम पांच और अधिक से अधिक एक सौ होगी और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हो, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए, जिससे कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रुप में चुने जा सकेंगे और मान्यता दी जा सकेगी, उपाबंध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(5) जहां कि कोई नियोजक अपने द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा (2) परंतु के अधीन सुलह अधिकारी बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण से आवेदन करता है, वहां सम्पृक्त अधिकारी अविलंब ऐसे आवेदन की सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझें :

परंतु जहां ऐसा कोई प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि, ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के बिना ही, समाप्त हो गई थी ।

यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबंध कि कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें, आदि बदली है या नहीं ।

91. जहां कि कोई नियोजक कार्यवाहियों के, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण लंबित रहने के दौरान धारा 90 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित में ऐसी रीति में जो विहित की जाए,—

(क) ऐसे सुलह अधिकारी को परिवाद कर सकेगा, और सुलह अधिकारी ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता कराने के लिए

ध्यान देगा ; और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को परिवाद कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण परिवाद का न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस संहिता के उपबंधों के अनुसार निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति ।

92. (1) समुचित सरकार इस संहिता के अधीन किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें उसमें लिखा जाएगा, प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए उसे यथास्थिति, किसी अधिकरण को अंतरित कर सकेगी और वह अधिकरण जिसे कार्यवाही अंतरित की गई है, अंतरण आदेश के विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह ऐसे अंतरित की गई थी :

(2) केंद्रीय सरकार लिखित में आदेश द्वारा और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों को लेखबद्ध करते हुए इस संहिता के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को प्रत्याहृत कर सकेगी और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कार्यवाही निपटाने के लिए अंतरित कर सकेगी तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसको कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की जाती है, अंतरण के आदेश में विशेष निदेशों के अध्यधीन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर उसे अंतरित किया गया था, अग्रसर हो सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें कारणों को लेखबद्ध करते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण को, जहां केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है वहां इस संहिता के उपबंधों के अधीन उनके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उद्भूत मामलों को स्वीकार करने और निपटाने के लिए सशक्त कर सकेगी ।

व्यक्तियों का संरक्षण ।

93. (1) किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस संहिता के अनुसार अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी से निष्कासित किए जाने का, या किसी जुर्माने या शास्ति का या किसी ऐसे अधिकार या प्रसुविधा से जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार हो, वंचित किए जाने का भागी नहीं होगा और न उस संघ या सोसायटी के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्षतःया अप्रत्यक्षतः किसी भी विषय में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अहितकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा ।

(2) किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी में की गई कोई बात, जो विवादों का किसी भी रुप में समझौता करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है यह आदेश देने

के बदले कि उसे फिर से सदस्य बना लिया जाएग यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसायटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के तौर पर ऐसी राशि दी जाए जिसे वह न्यायालय न्याय संगत समझे ।

पक्षकारों का प्रतिनिधित्व ।

94. (1) वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है, इस बात का हकदार होगा कि इस संहिता के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही उसका प्रतिनिधित्व—

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ख) व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड क में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ग) जहां कि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां, उस उद्योग से जिसमें कर्मकार नियोजित है, संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित की जाए,

किया जाए ।

(2) वह नियोजक जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस संहिता के अधीन किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व, —

(क) उस नियोजक -संगम के जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा ;

(ख) नियोजक-संगमों के उस परिसंघ के, जिससे खंड क में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ग) जहां कि नियोजक-संगम का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है, संसक्त नियोजक संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है जैसी विहित की जाए,

किया जाए ।

(3) विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस संहिता के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या बोर्ड, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जाए ।

(4) इस उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सहमति से, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अनुमति से विधि व्यवसायी द्वारा किया जा सकेगा ।

अधिनिर्णय या समझौते के निर्वचन में शंकाओं को दूर करना ।

95. (1) यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उदभूत होती है तो वह उस प्रश्न को उस अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा

और उसका विनिश्चय अंतिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

96. जहां समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान है, वहां वह अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना छूट दे सकेगी । छूट देने की शक्ति

97. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसको इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी और किसी सिविल न्यायालय द्वारा इस संहिता के द्वारा या अधीन की गई किसी बात या आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश जारी नहीं किया जाएगा । सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

98. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी । इस संहिता के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

99. (1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, —

(क) धारा 2 के खंड (यघ) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सुलह कार्यवाही के दौरान से अन्यथा नियोजन और कर्मकार के मध्य किया गया लिखित करार ;

(ख) कार्य समिति का गठन और धारा 3 के अधीन स्थापन में लगे हुए कर्मकारों और नियोजक के प्रतिनिधियों का चयन ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्रतितोष समिति के लिए नियोजक और कर्मकारों में से सदस्यों का चयन करने की रीति ;

(घ) किसी विवाद के संबंध में किसी व्यथित कर्मकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष आवेदन का दायर किया जाना ;

(ङ.) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रतितोष समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह के लिए आवेदन दायर करने की रीति;

(च) धारा 7 के खंड (च) के अधीन व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान का संदाय और ऐसे सदस्यों और अन्यों से दान ;

(छ) धारा 7 के खंड (ञ) के अधीन वार्षिक संपरीक्षा ;

(ज) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्ररूप और उसे करने की रीति ;

(झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट और ऐसे प्ररूप में तैयार व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ;

(ञ) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ट) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां प्रविष्ट करने का प्ररूप ;

(ठ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन व्यवसाय संघ के आवेदन का सत्यापन;

(ड) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अवधि जिसके भीतर व्यवसाय संघ द्वारा अधिकरण को अपील प्रस्तुत की जानी है ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना और सूचनाएं भेजना तथा उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचित करने की रीति ;

(ण) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन वे मामले, जिस पर, यथास्थिति, समझौता करने वाला संघ या समझौता करने वाली परिषद् किसी औद्योगिक स्थापन में औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ समझौता कर सकेंगे ;

(त) धारा 14 की उपधारा (3) और (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल पर कर्मकारों के सत्यापन की रीति और धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक स्थापन द्वारा समझौता करने वाले संघ या समझौता करने वाली परिषद् को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं ;

(थ) धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्देश्य और उपधारा (4) के अधीन संदेय अभिदान ;

(द) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ध) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेलन की रीति और उपधारा (3) के अधीन भिन्न-भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार हस्ताक्षरित समामेलन भेजने की रीति ;

(न) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों का वितरण ;

(प) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह तारीख, जिससे पहले साधारण विवरण रजिस्ट्रार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा, साधारण विवरण और इसके प्ररूप में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, वह व्यक्ति, जिसके द्वारा और वह रीति, जिसमें ऐसा साधारण विवरण संपरीक्षित किया जाएगा ;

(फ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यापार संघ के रुप में राज्य स्तर पर किसी व्यापार संघ को मान्यता देने की रीति और इसके द्वारा विवादों के विनिश्चय की रीति ;

(ब) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन जहां कोई व्यवसाय संघ प्रचालन में नहीं हैं, वहां प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक

स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति ;

(झ) धारा 30 की उपधारा (7) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधिप्रमाणन की रीति;

(ञ) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन वह विवरण के साथ प्रारुप स्थायी आदेश संलग्न किए जाने हैं ;

(य) धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन समूह द्वारा प्रारुप स्थायी आदेशों को प्रस्तुत करने की शर्तें ;

(यक) धारा 32 के अधीन प्राधिकारी द्वारा अपील निपटाने की रीति ;

(यख) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियों को भेजने की रीति और उपधारा (2) के अधीन स्थायी आदेश बनाए रखने की भाषा और रीति ;

(यग) धारा 34 के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले अंतिम रुप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को दायर करने के लिए रजिस्ट्री का प्ररुप और ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रति देने के लिए फीस ;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणन अधिकारी के समक्ष स्थायी आदेशों में किए जाने वाले उपांतरण के लिए आवेदन ;

(यङ.) धारा 40 के खंड (i) के अधीन किए जाने वाले प्रस्तावित माध्यस्थम परिवर्तन की प्रकृति का नोटिस देने की रीति ;

(यच) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन करार का प्ररुप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की रीति ;

(यछ) धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन सुलह अधिकारी द्वारा माध्यस्थम करार के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(यज) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी करने की रीति, जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए निदेशित किया गया है ;

(यझ) धारा 42 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति, जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं हैं ;

(यञ) धारा 44 की उपधारा (11) के अधीन रिक्ति भरने की रीति ;

(यट) धारा 46 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यठ) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अन्य मामले जिनके संबंध में किसी सुलह अधिकारी, बोर्ड, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की किसी सिविल न्यायालय में निहित है ;

(यड) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही आयोजित करने की रीति और उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट का प्ररूप और उपधारा (6) के अधीन

आवेदन का प्ररूप तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चिय करने की रीति ;

(यढ) धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, जिनको ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ऐसा नोटिस देने की रीति ;

(यण) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तालाबंदी का नोटिस देने की रीति और उपधारा (6) के अधीन प्राधिकारी ;

(यत) उद्योग में नियोजित किसी कर्मकार, जो एक वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा में रहा हो, को किसी नियोजक द्वारा समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी, जो धारा 70 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की छटनी से पूर्व नोटिस तामील करने की रीति ;

(यथ) धारा 72 के अधीन ऐसी रीति जिसमें नियोजक छटनी किए गए कर्मकारों, जो भारत के नागरिक हैं, को पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापना करने के लिए कोई अवसर देगा ।

(यद) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें नियोजक उपक्रम की आशयित बंदी के लिए स्पष्ट तौर पर कारणों का कथन करते हुए समुचित सरकार को सूचना तामील करेगा ;

(यध) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन आशयित कामबंदी के लिए स्पष्ट तौर पर कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यन) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन करने की रीति;

(यप) धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा ;

(यफ) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट तौर पर कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यब) धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा;

(यभ) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम को बंद करने के आशय के लिए स्पष्ट तौर पर कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यम) धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा;

(यय) धारा 83 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कर्मकार पुनः कौशल निधि को किए जाने वाले ऐसे अन्य स्त्रोतों से अभिदाय ;

(ययक) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन निधि के उपयोग की रीति;

(ययख) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति ;

(ययग) धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ययघ) धारा 91 के अधीन किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत करने की रीति ;

(ययड.) धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययच) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजक को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययछ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित है या जिसे इस संहिता के उपबंधों के अधीन विहित किया जाए या किया जाना है ।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी—

(क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय स्तर पर किसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रुप में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ की मान्यता की रीति और इसके द्वारा विवादों के विनिश्चय की रीति ; और

(ख) धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की रीति ;

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 2 के खंड (ड) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

100. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी—

(क) जहां कि समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार हो वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) जहां कि समुचित सरकार, राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अनुसूचियों को संशोधन करने की शक्ति ।

101. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किंतु इस अधिसूचना के अनुसरण में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2017 के अधिनियम सं. 7 का संशोधन ।

102. वित्त अधिनियम, 2017 की आठवीं अनुसूची में क्रम संय (1) के सामने, —

(क) स्तंभ (2) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ (3) में "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947" शब्दों और अंकों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता; 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

103. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस संहिता के उपबंधों से जो असंगत न हो, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस संहिता के प्रारंभ होने से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

104. (1) इस संहिता के किसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित उपबंधों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगी, —

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ; 1926 का 16

(ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और 1946 का 20

1947 का 14

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947,

और, इस प्रकार विनिर्दिष्ट खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबंध इस निमित्त अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगे और ऐसी अधिनियमितियों के शेष उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें वैसी ही रीति में वैसी अधिसूचनाओं द्वारा निरसित नहीं कर दिए जाते हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियमितियों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत तद्धीन बनाए गए कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति किए गए आदेश या निदेश भी हैं, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वे उस सीमा तक, जहां तक वे इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, प्रवृत्त होंगे ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होंगे ।

1897 का 10

पहली अनुसूची

[धारा 2(यङ) और धारा 30(1) और (5) देखिए]

इस संहित के अधीन स्थायी आदेशों में उपबंधित किए जाने वाले विषय

1. कर्मकारों का वर्गीकरण, चाहे स्थायी, अस्थायी, शिक्षु, परिवीक्षाधीन, बदली या नियत अवधि नियोजन हो ।

2. कर्मकारों की काम की कालावधियां और घंटे, अवकाश दिन, वेतन दिवस और मजदूरी की दरें प्रज्ञापित करने की रीति ।

3. पारी में काम ।

4. हाजिरी और विलम्ब से आना ।

5. छुट्टी और अवकाश दिनों की शर्तें उनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और प्राधिकारी जो उन्हें अनुदत्त कर सकेगा ।

6. यह अपेक्षा कि परिसर में प्रवेश निश्चित द्वारों से हो और तलाशी के लिए दायित्वाधीन होना ।

7. औद्योगिक स्थापन के अनुभागों को बंद करना और पुनः खोलना, काम का अस्थायी रुप से रोका जाना तथा उनसे उद्भूत नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार ओर कर्तव्य ।

8. नियोजन का पर्यवसान तथा नियोजक और कर्मकारों द्वारा उसकी सूचना का दिया जाना ।

9. अवचार और कार्य या लोप के लिए, जो अवचार गठित करते हैं, निलबंन या पदच्युति ।

10. नियोजन या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अनुचित व्यवहार या सदोष अवैध मांग के विरूद्ध कर्मकारों के लिए समाधान के साधन ।

11. ऐसा कोई अन्य विषय, जो अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

दूसरी अनुसूची

(धाराएं 2 (यत्र), 84 और 86 (5) देखिए)

अनुचित श्रम व्यवहार

I. नियोजकों और कर्मचारियों के व्यवसाय संघ की ओर से

(1) कर्मकारों को व्यवसाय संघ को संगठित करने, बनाने, भाग लेने या उसमें सहायता करने के उनके अधिकार के प्रयोग में या सामूहिक सौदेबाजी, या अन्य पारस्परिक सहायता अथवा संरक्षण के प्रयोजनों के लिए संयुक्त क्रियाकलापों में संलग्न होने के अधिकार के प्रयोग में व्यवधान करना, अवरोध करना, या दवाब बनाना, अर्थात्: —

(क) कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या बर्खास्त करने की धमकी देना, यदि वे व्यवसाय संघ के सदस्य बनते हैं;

(ख) तालाबंदी या बंद करने की धमकी देना, यदि व्यवसाय संघ को संगठित किया जाए;

(ग) व्यवसाय संघ संगठन की निर्णायक अवधियों में व्यवसाय संघ संगठन के प्रयासों को हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कर्मकारों को बढ़ी हुई मजदूरी देना;

(2) किसी व्यवसाय संघ को प्रभाव में लेना, व्यवधान करना या वित्तीय या अन्यथा सहयोग करना, अर्थात् : —

(क) कोई नियोजक अपने कर्मकारों के व्यवसाय संघ के आयोजन में संक्रिय रुचि ले रहा हो; और

(ख) कोई नियोजक अपने कर्मकारों या उसके सदस्यों को संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति पक्षपात करे या उसे समर्थन करे, जहाँ ऐसा व्यवसाय संघ मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है ।

(3) नियोजक प्रायोजित कर्मकारों के व्यवसाय संघों का गठन करना ।

(4) किसी व्यवसाय संघ में किसी कर्मकार के विरुद्ध भेदभाव करके उसकी सदस्यता को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना अर्थात् :—

(क) किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या दण्डित करना क्योंकि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता लेने या संगठित करने पर जोर देना ;

(ख) किसी कर्मकार को किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवोन्मुक्त या बर्खास्त करना (जो इस संहिता के अधीन ऐसी हड़ताल नहीं है जिसे अवैध हड़ताल समझा जाए) ;

(ग) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों की ज्येष्ठता सूची में परिवर्तन करना;

(घ) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नत करने से इंकार करना ;

(ङ) कतिपय कर्मकारों को, अन्य कर्मकारों के बीच कलह को बढ़ावा देने के

दृष्टिकोण से या उनके व्यवसाय संघ की शक्ति को हतोत्साहित करने के लिए, गुणागुण के बिना प्रोन्नति देना;

(च) व्यवसाय संघ दे पदधारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ क्रियाकलाप के कारण सेवोन्मुक्त करना ।

(5) इस प्रकार की दबाव कारी कार्यवाहियां जैसे जानबुझकर धीमे कार्य करना, कार्य घंटों के पश्चात् कार्य परिसर में बैठ जाना या प्रबंधकीय या अन्य कर्मचारिवृन्द सदस्यों का घेराव करना जैसी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करना या उक्साना ।

(क) उत्पीड़न द्वारा ;

(ख) असद्भावपूर्वक, नियोजक के अधिकारों के छद्म प्रयोग द्वारा;

(ग) मिथ्यासाक्ष्य या गढ़े हुए साक्ष्य पर आपराधिक मामलें में किसी कर्मकार को मिथ्या आलिप्त करके ;

(घ) प्रत्यक्ष मिथ्या कारणों से;

(ङ) छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के असत्य या गढ़े हुए आरोपों पर;

(च) आंतरिक पूछताछ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की घोर अवहेलना या असम्यक जल्दी में;

(छ) विशिष्ट कदाचार की प्रकृति या कर्मकार के पिछले रिकार्ड या सेवाओं को ध्यान न रखते हुए, और लघु या तकनीकी प्रकृति के कदाचार के लिए असमानुपाती दंड देकर कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या बर्खास्त करना ।

(6) कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नैमित्तिक प्रकृति के कार्य का उन्मूलन करना और हड़ताल तोड़ने के लिए ऐसा कार्य ठेकेदारों को दे देना

(7) प्रबंधन नीति के छद्म पालन में विद्वेषपूर्वक कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित करना ।

(8) वैयक्तिक कर्मकारों को, जो विधिक हड़ताल पर हैं, पुनः काम करना अनुज्ञात करने के लिए पूर्वशर्त के रुप में अच्छे आचरण का बंधपत्र हस्ताक्षर करने पर जोर देना ।

(9) गुणागुण को ध्यान में न रखते हुए कर्मकारों के एक समूह के प्रति पक्ष समर्थन या पक्षपात करना ।

(10) कर्मकारों को बदली कर्मकारों , अनियत या अस्थायी कर्मकारों के रुप में नियोजित करना और उन्हें स्थायी कर्मकारों की प्रास्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से कई वर्षों तक उसी रुप में नियोजित रखना ।

(11) किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में किसी नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने में किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त करना या उससे भेदभाव करना ।

(12) कर्मकार को हड़ताल के दौरान भर्ती करना जो अवैध हड़ताल नहीं है ।

(13) पंचात, समझौता या करार लागू करने में असफलता ।

(14) बल या हिंसा के कृत में लिप्त होना ।

(15) मान्यताप्राप्त व्यापार संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक सौदेबाजी से मना करना ।

(16) इस संहिता के अधीन अवैध समझी गई तालाबंदी को प्रस्तावित या निरंतर करना ।

2. कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघ की ओर से

(1) इस संहिता के अधीन अवैध समझी गई किसी हड़ताल के लिए परामर्श देना या सक्रिय रुप से समर्थन करना अथवा उकसाना ।

(2) कर्मकारों को उनके स्वयं संगठित होने या व्यवसाय संघ की सदस्यता ग्रहण करने या किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता से विरत रहने के लिए दवाब बनाना, अर्थात् :—

(क) किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों के लिए इस प्रकार पहरा देना कि हड़ताल न करने वाले कर्मकार कार्य स्थल पर प्रवेश करने से भौतिक रुप से बाधित हों ;

(ख) हड़ताल न करने वाले कर्मकारों के विरुद्ध या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद के विरुद्ध हड़ताल के संबंध में बल या हिंसा के कृत्य में लिप्त होना या धमकी देना ।

(3) मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ को नियोजक के साथ सद्भाव पूर्वक सामूहिक सौदेबाजी से इंकार करना ।

(4) सौदेबाजी करने वाले प्रतिनिधि के प्रमाणन के विरुद्ध दबाबकारी क्रियाकलापों में लिप्त होना ।

(5) स्वेच्छया रुप में दबाबकारी क्रियाकलापों के ऐसे रुप में "धीमे कार्य करने" को प्रायोजित करना, प्रोत्साहित करना या उकसाना ।

स्पष्टीकरण 1—संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "धीमे कार्य करने" से ऐसा अवसर अभिप्रेत है जब एक के अधिक कर्मकार किसी स्थापन में सामान्य से कम गति से और कम प्रयास करके उच्चतर वेतन या बेहतर सेवा शर्तों अथवा ऐसी अन्य मांग को पूरा करने के लिए नियोजन पर दबाब बनाने का प्रयास करता है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए "सामान्य" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहाँ किसी कर्मकार के लिए उसके कार्य हेतु या तो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर मानक विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, और

(ii) जहाँ ऐसा कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कार्य की ऐसी दर जो यथास्थिति, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर पूर्ववर्ती तीन मास में औसत कार्य के लिए संगणित की जाती है ।

(6) नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद सदस्यों के आवास पर प्रदर्शन करना ।

(7) उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को जानबूझकर क्षति के लिए उकसाना या उसमें लिप्त होना ।

(8) किसी कर्मकार को कार्य पर उपस्थित होने से रोकने के दृष्टिकोण से उसके विरुद्ध बल या हिंसा के कार्य में लिप्त होना या धमकी देना ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 40 देखिए)

उस परिवर्तन के लिए सेवी की शर्तें, जिसके लिए नोटिस दिया जाना है—

1. मजदूरी, जिसके अंतर्गत अवधि और संदाय का ढंग भी है ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या कर्मकारों के पआयदे कि लिए संदत् या संदेय अभिदाय ।।

3. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते ।

4. कार्य के घंटे और विश्राम अंतराल ।

5. मजदूरी के साथ छुट्टी और अवकाश ।

6. स्थायी आदेशों के अनुसार अन्यथा से भिन्न पारी कार्य आरंभ, परिवर्तन, अनिरंतर करना ।

7. श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण ।

8. किसी रुढ़ीगत रियायत या विशेषाधिकार को वापस लेना या उपयोगमें परिवर्तन ।

9. अनुशासन के नए नियम का आरंभ या विद्यमान नियमों में परिवर्तन सिवाए जहां तक वे स्थायी आदेश में उपबंधित किए गए हैं ।

10. संयंत्र या तकनीक का सुव्यस्थीकरण, मानकीकरण या सुधार जिससे कर्मकारों छंटनी की संभावना है ।

11. किसी व्यवसाय या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित व्यक्तियों या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी जो ऐसी परिस्थितियों द्वारा नहीं की गई है जिस पर नियोजक का नियंत्रण नहीं है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग ने, जिसने जून, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यह सिफारिश की थी कि श्रम विधियों के विद्यमान समुच्चय का विस्तृत रूप से समामेलन निम्नलिखित समूहों में कर दिया जाना चाहिए, अर्थात् :--

(क) औद्योगिक संबंध ;

(ख) मजदूरी ;

(ग) सामाजिक सुरक्षा ;

(घ) संरक्षा ; और

(ङ) कल्याण और कार्यकरण की दशा ।

2. उक्त आयोग की सिफारिशों और सरकार, कर्मचारी और औद्योगिक प्रतिनिधियों से मिलकर बने त्रिपक्षीय अधिवेशन में किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में, प्रस्तावित विधान लाने का विनिश्चय किया गया है । प्रस्तावित विधान औद्योगिक संबंधों से संबंधित निम्नलिखित तीन केंद्रीय श्रम अधिनियमितियों के सुसंगत उपबंधों को समामेलित, सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए आशयित है, अर्थात् :--

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ;

(ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ; और

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ।

3. उक्त विधियों का समामेलन, कर्मकारों के कल्याण और फायदों की मूल धारणा से समझौता किए बिना कार्यान्वयन को सुकर बनाएगा तथा परिभाषाओं और प्राधिकरणों के बाहुल्य को भी दूर करेगा । प्रस्तावित विधान, अर्थात् औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 इसके प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी का उपयोग लाएगा । ये सभी उपाय पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे, जिससे और अधिक प्रभारी प्रवर्तन होगा । श्रम विधियों की अनुपालना की सुगमता को सुकर बनाने से और अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, इससे नियोजन के अवसरों का सृजन उत्प्रेरित होगा ।

4. औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 की मुख्य बातें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं :--

(क) "नियत अवधि नियोजन" अभिव्यक्ति को परिभाषित करना, जिसका अभिप्राय किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को नियोजित करना है । नियत अवधि कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी इत्यादि जैसे सभी कानूनी फायदे नियमित कर्मचारी के समान प्राप्त होंगे, जो उसी प्रकृति का कार्य कर रहा है ;

(ख) "उद्योग" पद को कतिपय अपवादों के साथ परिभाषित करना ;

(ग) "हड़ताल" की परिभाषा को, उसकी परिधि में मिलकर ली गई आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित करने के लिए, उपांतरित किया जाना प्रस्तावित है ;

(घ) "कर्मकार" पद को उसकी परिधि में पर्यवेक्षणीय हैसियत वाले ऐसे

व्यक्तियों को लाने के रूप में परिभाषित करना, जो पन्द्रह हजार रुपए तक की मजदूरी पाते हैं । वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन "कर्मकार" की परिभाषा के अंतर्गत पर्यवेक्षणीय हैसियत वाले ऐसे व्यक्ति आते हैं, जो दस हजार रुपए प्रति माह तक का वेतन पाते हैं ;

(ङ) एक सौ या उससे अधिक कर्मकारों वाले खानों, कारखानों और वृक्षारोपण से संबंधित औद्योगिक स्थापन की ओर से कामबंदी, छटनी या बंदी से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेने की बाध्यता का उपबंध करना । तथापि, समुचित सरकार को कर्मकारों की संख्या की ऐसी सीमा को उपांतरित करने के लिए सशक्त किया गया है ;

(च) कर्मकारों की छटनी की दशा में, छटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पुन:कौशल निधि की स्थापना करना, जिसमें कर्मचारियों द्वारा पंद्रह दिन या उतने अन्य दिनों की मजदूरी के योगदान का संदाय किया जाएगा, जितने केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(छ) ऐसे मामलों पर, जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता के साथ बातचीत करने के लिए किसी औद्योगिक स्थापन में एकल बातचीत संघ के लिए उपबंध करना । कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ होने की दशा में किसी व्यवसाय संघ को एकल बातचीत संघ तभी अभिहित किया जाएगा यदि उसे किसी स्थापन में मस्टर रोल पर कर्मकारों के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का समर्थन प्राप्त है और यदि किसी स्थापन के मस्टर रोल पर व्यवसाय संघ को ऐसी समर्थन संख्या प्राप्त नहीं है तो बातचीत के लिए बातचीत परिषद् गठित की जाएगी ;

(ज) सुलह अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों का विनिश्चय करने के लिए, जांच न्यायालय, सुलह बोर्ड और श्रम न्यायालयों जैसे बहुसंख्यंक न्यायनिर्णयन निकायों के स्थान पर, औद्योगिक अधिकरण का न्यायनिर्णयन निकाय होने का उपबंध करना ;

(झ) शिकायत प्रतितोष समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या को छह से बढ़ाकर दस कर दिया गया है ;

(ञ) वर्तमान में, एकल सदस्य श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण के स्थान पर, दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण रखे जाने के लिए उपबंध किया गया है, जिसमें दूसरा सदस्य प्रशासनिक तरफ से होगा । इसके अतिरिक्त, अधिकरण अधिनिर्णय को किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित करने के लिए सशक्त होगा, जिससे विवादों का शीघ्र निपटान सुकर हो जाएगा ;

(ट) विद्यमान न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं को निरंतरता का उपबंध करना ;

(ठ) यह उपबंध करना कि राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सिवाय औद्योगिक अधिकरण के लिए सरकार द्वारा निर्देश अपेक्षित नहीं होगा ;

(ड) चौदह दिन की सूचना दिए बिना और सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने

के दौरान भी हड़ताल और तालाबंदी को प्रतिसिद्ध करना ;

(ढ) ऐसे अपराधों को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमणों के विभिन्न प्रकारों के लिए और अतिक्रमणों की गंभीरता के अनुरूप शास्तियों का उपबंध करना ;

(ण) समुचित सरकार को, पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय कतिपय उल्लंघनों में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकारी नियुक्त करने के लिए सशक्त करना ;

(त) ऐसे अपराधों के शमन का उपबंध करना, जो कारावास से दंडनीय नहीं है ।

5. खंडों पर टिप्पण में विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवंबर, 2019.

संतोष कुमार गंगवार

खंडो का टिप्पण

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित संहिता में प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है जिसमें अन्य बातों के साथ 'समुचित सरकार', 'उद्योग', 'कामबंदी', 'तालाबंदी', 'अधिकरण', 'अनुचित श्रमिक आचरण', 'असंगठित सेक्टर' और 'मजदूरी' सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 3 कर्म समिति का उपबंध करता है। कर्म समिति नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी और कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्यां से कम नहीं होगी। कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा अन्य बातों के साथ नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय बढ़ाएं।

विधेयक का खंड 4 शिकायत प्रतितोष समिति का उपबंध करता है व्यष्टिक कर्मकारों की शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए शिकायत प्रतितोष समिति की अवसीमा संबंद्ध औद्योगिक स्थापन में बीस या अधिक कर्मकार का नियोजन है। उक्त खंड में, व्यथित कर्मकार द्वारा विवाद की बाबत् कोई आवेदन करना, शिकायत प्रतितोष समिति का गठन जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी हैं, समिति की अधिकतम सीमा, कारवाहियों को पूरा करने के लिए समय सीमा, उसके विनिश्चय की रीति और शिकायत प्रतितोष समिति के विनिश्चय के विरुद्ध न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन दाखिल करना या न्यायनिर्णयन की शिकायत जिसका समाधान समिति में तीस दिवस के भीतर नहीं हुआ है, के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है।

विधेयक का खंड 5 व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार का उपबंध करता है। व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनकी संबंधित शक्तियां और कर्तव्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और अन्य अधिकारियों को व्यवसाय संघ, कार्यालय जो उसके क्षेत्राधिकार के भीतर विद्यमान है, के संबंध में राज्य सरकार के आदेश के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 6 व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड उपबंधित करता है। उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यवसाय संघ के सात या अधिक सदस्य आवेदन कर सकेंगे और स्थापन या उद्योगों से संबंद्ध व्यवसाय संघ केवल तभी रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जबकि स्थापन या उद्योगों में लगे हुए कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार व्यवसाय संघ के सदस्य न हो। यह और उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगा की आवेदन दाखिल करने के पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण से पूर्व उन व्यक्तियों की कुल संख्या से आधे से अनधिक आवेदन करने वाले व्यक्ति व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रहे या उन्होंनें स्वयं को आवेदन से असंबंद्ध कर लिया है। यह और अपेक्षा करता है कि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सदस्यों की संख्या स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित सात सदस्यों के अधीन रहते हुए कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार इनमें से जो भी कम होगी।

विधेयक का खंड 7 व्यवसाय संघ के गठन या नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने का उपबंध करता है। यदि उक्त खंड में विनिर्दिष्ट मामले व्यवसाय संघ के नियमों में

उपबंधित नहीं है और व्यवसाय संघ की कार्यपालिका प्रस्तावित संहिता के उपबंधों के अनुसरण में गठित नहीं है।

विधेयक का खंड 8 रजिस्ट्रीकरण, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया का उपबंध करता है। व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को नियमों में यथाविहित रीति में किया जाएगा।

विधेयक का खंड 9 व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण और रद्द किए जाने का उपबंध करता है। जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्ण है तो वह पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या प्रदान करने से इंकार करने का आदेश करेगा और उसे इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा आवेदक व्यवसाय संघ को सूचित करेगा। रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए रजिस्ट्रार को उसके कारण देने होंगे । रजिस्ट्रीकरण होने पर रजिस्ट्रार आवेदक व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा जो रजिस्ट्रीकरण का निश्चायक साक्ष्य होगा और रजिस्टर में नाम और अन्य विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा । व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ जो प्रस्तावित संहिता के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखते हैं उन्हे इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। यह रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के प्रत्याह्रण और रद्दकरण का भी उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 10 रजिस्ट्रीकरण न किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील का उपबंध करता है। कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रदान किए जाने से इंकार से या व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रद्दकरण से व्यथित है, वह अधिकरण को नियमों द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा। अधिकरण को स्वयं का समाधान होने पर अपील दाखिल करने में हुआ विलंब क्षमा करने की शक्ति होगी। अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अपील खारिज कर सकेगा या व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का आदेश पारित कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रद्द के आदेश को अपास्त कर सकेगा और आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार भेज सकेगा।

विधेयक का खंड 11 व्यवसाय संघ को संसूचना और उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में परिवर्तन का उपबंध करता है। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनाएं और नोटिस रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर भेजे जाएंगे।

विधेयक का खंड 12 रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 13 कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू नहीं होना जैसा कि उक्त खंड में उल्लिखित है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ बातचीत करने के लिए वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद की मान्यता का उपबंध करता है । उप-खंड (2) या उप-खंड (3) के अधीन प्रदत्त कोई मान्यता या उप-खंड (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगी ।

विधेयक का खंड 15 व्यवसाय संघ की साधारण निधि के उद्देश्य, पृथक निधि की

संरचना और सदस्यता फीस का उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को किन्हीं ऐसे उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्य के लिए जो विहित किए जाएं, खर्च नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 16 कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति का उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय मामलों में नहीं चलाई जाएगी ।

विधेयक का खंड 17 व्यवसाय संघ के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आपराधिक षडयंत्र के लिए उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा120 की उपधारा(2) के अधीन दंड का भागी नहीं होगा जब तक कि उनके बीच कोई करार, किसी अपराध को करने का करार न हो ।

विधेयक का खंड 18 करारों की प्रवर्तनीयता के लिए उपबंध करता है । किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार का अवरोधक है ।

विधेयक का खंड 19 व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण के अधिकार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्तवय के अधिकारी के लिए उपबंध करता है । कोई भी व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य उस व्यवसाय संघ के नियमों के अधीन रहते हुए हो सकेगा ।

विधेयक का खंड 21 व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की निरर्हता के लिए उपबंध करता है । कोई व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए इस खंड में यथाउल्लिखित कारणों से निरर्हित होगा ।

विधेयक का खंड 22 व्यवसाय संघ के विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में जहां इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को एक आवेदन किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 23 उद्योग से संबंध स्थापित करने के लिए पदाधिकारियों के समानुपात का उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के कुल पदाधिकारियों के आधे से अन्यून व्यक्ति किसी स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में वास्तविक रुप से नियोजित होंगे ।

विधेयक का खंड 24 नाम में परिवर्तन, समामेलन, परिवर्तन की सूचना और इस खंड में यथाउपबंधित उसके प्रभाव का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 25 इस खंड में यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के विघटन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 26 व्यवसाय संघ द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल करने का उपबंध

करता है ।

विधेयक का खंड 27 व्यवसाय संघों को केंद्र और राज्य स्तर पर इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट रीति से संबंधित केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 प्रस्तावित संहिता के अध्याय 4 के लागू होने का उपबंध करता है । उक्त अध्याय 4 के उपबंध प्रत्येक ऐसे औद्योगिक स्थापनों को लागू होंगे, जिसमें एक सौ या एक सौ से अधिक, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, कर्मकार नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन नियोजित थे ।

विधेयक का खंड 29 केंद्रीय सरकार द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों को बनाने और उनके अस्थायी लागू होने का उपबंध करता है । केंद्रीय सरकार सेवा शर्तों और उससे अनुषंगी या संबंधित अन्य विषयों के संबंध में आदर्श स्थायी आदेश बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 30 इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट रीति से नियोजक द्वारा प्रारुप स्थायी आदेश को तैयार करने और उनके प्रमाणन के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 प्रमाणकर्ता अधिकारियों के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों के होने का उपबंध करता है । प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी के पास साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों की उपस्थिति प्रवर्तित करने और दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी और वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझे जाएंगे ।

विधेयक का खंड 32 इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट अपीलों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी आदेशों के प्रचालन की तारीख और उनकी उपलब्धता का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 स्थायी आदेशों के रजिस्टर का उपबंध करता है । इस संहिता के अधीन अंतिम रुप से यथाप्रमाणित सभी स्थायी आदेशों की एक प्रति प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा इस खंड में यथाविहित रुप में और यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए फाइल की जाएगी ।

विधेयक का खंड 35 स्थायी आदेशों की अस्तित्वावधि और उनके उपांतरण का उपबंध करता है । इस खंड की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय स्थायी आदेशों को उपांतरित कराने के लिए ऐसे आवेदनों में, जो विहित किया जाए प्रमाणन अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 36 स्थायी आदेशों के खंडन में मौखिक साक्ष्य के ग्राह्य न होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 37 इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी आदेशों के निर्वचन, आदि का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 38 इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट अनुशासनिक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय-सीमा और निर्वाह भत्ता संदाय करने के दायित्व का उपबंध करता

है ।

विधेयक का खंड 39 छूट देने की शक्ति का उपबंध करता है । समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन या औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या बिना के किसी शर्त के छूट प्रदान कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 40 परिवर्तन की सूचना का उपबंध करता है । कोई नियोक्ता, जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कर्मकार को लागू सेवा शर्तों में किसी परिवर्तन को प्रस्तावित करता है, ऐसा परिवर्तन खंड में यथा विनिर्दिष्ट रूप में करेगा ।

विधेयक का खंड 41 समुचित सरकार की छूट देने की शक्ति का उपबंध करता है । जहां समुचित सरकार की यह राय है कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 40 के उपबंधों का लागू होना, नियोजकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । ऐसी सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विधेयक का खंड 42, खंड में यथाविनिर्दिष्ट रूप में विवादों का माध्यस्थम को स्वैच्छया निर्देश का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 43 सुलह अधिकारियों के लिए उपबंध करता है । समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, सुलह अधिकारियों के रूप में, जिन्हें मध्यस्थत करने के कर्तव्य से औद्योगिक विवादों के निपटान का संवर्धन करने के लिए प्रभारित किया जाएगा, उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।

विधेयक का खंड 44, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरणों के गठन और खंड में यथाविनिर्दिष्ट रूप में इस प्रयोजन के लिए रिक्ति को भरने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 45 अधिकरण के गठन की अंतिमता का उपबंध करता है । समुचित सरकार की कोई अधिसूचना, अधिकरण के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही मुख्यत: इस आधार पर किसी रीति में प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि ऐसे अधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता से संबंधित या अधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है ।

विधेयक का खंड 46 केंद्रीय सरकार द्वारा एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 47 किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विनिश्चय संबंधी उपबंध करता है । यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विनिश्चय सदस्यों की सहमति से होंगे । यदि अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों का किसी बिन्दु पर मतभेद होता है तो खंड में यथाविनिर्दिष्ट रीति में समुचित सरकार को निर्देश करेगी ।

विधेयक का खंड 48 अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य की निरर्हताओं का इस आधार पर कि वह कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है या उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 49 माध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की शक्तियों और प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 50 अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कर्मकार की सेवोन्मुक्त या उसके पदच्युति की दशा में समुचित प्रतितोष देने की शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 51 लंबित मामलों के अंतरण का उपबंध करता है । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, श्रम न्यायालय और राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामले प्रस्तावित संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले क्रमश: अधिकरण, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे ।

विधेयक का खंड 52, खंड के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रूप में निरसित अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं के समायोजन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 53, खंड के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रूप में विवाद की सुलह और न्यायनिर्णन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 54 राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्यों का उपबंध करता है । केंद्रीय सरकार किसी औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न अंतर्वलित है या वह ऐसी प्रकृति का है, जिसमें एक से अधिक राज्यों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनाओं के हितबद्ध होने की या ऐसे औद्योगिक विवाद से प्रभावित होने की संभावना है ।

विधेयक का खंड 55, खंड के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रूप में अधिनिर्णय का प्ररूप, उसकी संसूचना और प्रारंभ, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 56 उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियां लंबित रहने तक कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय का उपबंध करता है । नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रूप में, जहां किसी भी मामले में अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपने पंचांट के अनुसार किसी कर्मकार की बहाली का निदेश देता है और नियोजक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसे पंचांट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि के दौरान उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई पूर्ण मजदूरी का संदाय करने का दायी होगा, जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकेंगे ।

विधेयक का खंड 57 ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे, के लिए उपबंध करता है । सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा भिन्न नियोजक और कर्मकार के बीच करार द्वारा किया गया समझौता करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

विधेयक का खंड 58 समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की अवधि का उपबंध करता है । कोई समझौता ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जो विवाद के पक्षकारों के बीच करार पाई जाए और यदि किसी तारीख पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख को, जिसको समझौता ज्ञापन विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, प्रवृत्त होगा । अधिनिर्णय, इस खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से, जिसको अधिनिर्णय खंड 53 के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा ।

विधेयक का खंड 59, खंड में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियोजक से शोध्य धन की वसूली का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 60 कार्यवाहियों के प्रारंभ और समाप्ति का उपबंध करता है । उस तारीख को जिसको सुलह अधिकारी द्वारा हड़ताल या तालाबंदी की सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, सुलह अधिकारी द्वारा पहली बैठक आयोजित की जाती है, प्रारंभ हुई समझी जाएगी, खंड में यथाविनिर्दिष्ट रूप में, सुलह कार्यवाही समाप्त हुई समझी जाएगी ।

विधेयक का खंड 61, खंड में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, कतिपय मामलों को गोपनीय रखे जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 62 हड़ताल और तालाबंदियों का प्रतिषेध का उपबंध करता है । औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई भी व्यक्ति उक्त खंड के उपखंड (1) में यथाविनिर्दिष्ट कारणों के लिए संविदा-भंग करके हड़ताल पर नहीं जाएगा । उक्त खंड के उपखंड (2) में यथाविनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी औद्योगिक स्थापन का कोई भी नियोजक अपने किन्हीं कर्मकारों के विरुद्ध तालाबंदी नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 63 उपबंध करता है कि यदि खंड में, यथाविनिर्दिष्ट रीति में, हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जाती है, तो यह अवैध होगी ।

विधेयक का खंड 64 अवैध हड़तालों या तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता के प्रतिषेध का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 65, खंड 67 से खंड 69 के लागू होने का उपबंध करता है । यह अन्य बातों के साथ, उपबंध करता है कि खंड 67 से खंड 69 के उपबंध, जो कामबंदी किए गए कर्मकारों के प्रतिकर के लिए अधिकारों आदि और जो नियोजक के ऐसे कर्मकारों, जो कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए हकदार नहीं हैं, के मस्टर रोल रखने के कर्तव्य से संबंधित है, प्रस्तावित संहिता के अध्याय 10 के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापनों को लागू नहीं होंगे, जो कतिपय स्थापनों में छंटनी, कामबंदी से संबंधित विशेष उपबंध हैं, और ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसत पचास से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं, ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है, को भी लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 66 निरंतर सेवा की परिभाषा का उपबंध करता है । किसी कर्मकार के संबंध के निरंतर सेवा से ऐसे कर्मकार की अविछिन्न सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुटटी या दुघर्टना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ।

विधेयक का खंड 67 उन कर्मकारों, जिनकी कामबंदी की गई है, के लिए प्रतिकर, आदि के अधिकारों का उपबंध करता है । जब कभी (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरन्तर चाहे आन्तरायिक रूप से कामबंदी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय, जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए, जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबंदी की जाए, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक

मजदूरी और महंगाई भत्तें के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंदी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा ।

विधेयक का खंड 68 कर्मकारों के मस्टर रोल रखने के नियोजक के कर्तव्य का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 69 कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होने का उपबंध करता है । खंड में यथाविनिर्दिष्ट कारणों के लिए उस कर्मकार को, जिसकी कामबंदी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा ।

विधेयक का खंड 70 कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तों का उपबंध करता है । खंड में उल्लिखित कारणों के सिवाय किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा नहीं की जाएगी ।

विधेयक का खंड 71, छंटनी की प्रक्रिया का, खंड में यथाविनिर्दिष्ट रूप में उपबंध करता है, नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अध्यधीन, नियोजक मामूली तौर से उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति है । ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, नियोजक किसी अन्य कर्मकार की छंटनी कर सकता है ।

विधेयक का खंड 72, छंटनी किए गए कर्मकार के पुन:नियोजन का उपबंध करता है । किसी छंटनी किए गए कर्मकार को, ऐसी रीति से, जैसा नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, ऐसी छंटनी के एक वर्ष के भीतर पुन: नियोजित किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 73 स्थापन के अंतरण की दशा में, खंड में यथाविनिर्दिष्ट, कर्मकारों को प्रतिकर का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 74 किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की साठ दिन की सूचना दिए जाने का उपबंध करता है । कोई नियोजक, जो किसी उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, उस तारीख के, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व समुचित सरकार को उपक्रम के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से कथन करते हुए ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, एक सूचना देगा ।

विधेयक का खंड 75 उपक्रमों को बंद किए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर का उपबंध करता है । जहां कि कोई स्थापन किसी भी कारणवश, वह जो भी हो, बंद कर दिया जाता है, वहां हर कर्मकार, जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो ।

विधेयक का खंड 76 प्रस्तावित संहिता के अध्याय 9 से असंगत विधियों का प्रभाव का उपबंध करता है । उक्त अध्याय 9 के उपबंध किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत अध्याय-4 के अधीन किए गए स्थायी आदेश भी हैं, इनसे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 77 प्रस्तावित संहिता के अध्याय 10 के लागू होने का उपबंध करता है । उक्त अध्याय 10 के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं

है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रति कार्य-दिवस में कम से कम एक सौ कर्मकार या ऐसी संख्या में कर्मकार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं नियोजित थे ।

विधेयक का खंड 78 कामबंदी के प्रतिषेध का उपबंध करता है । किसी कर्मकार की (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसे प्रस्तावित संहिता लागू होती है, उसके नियोजक द्वारा कामबंदी, समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जिसे इस निमित्त उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नहीं की जाएगी ।

विधेयक का खंड 79 कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तों का उपबंध करता है, जिसको प्रस्तावित संहिता का अध्याय 10 लागू होता है। किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई कर्मकार जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, खंड में वर्णित कारणों के सिवाय उस नियोजक के द्वारा उसकी छंटनी नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 80 उपक्रम के बंद किए जाने की प्रक्रिया का उपबंध करता है । कोई नियोजक जो किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, जिसको प्रस्तावित संहिता का अध्याय 10 लागू होता है, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पूर्व, ऐसी रीति से जैसा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाये, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

विधेयक का खंड 81 नियोजक के इस कर्तव्य का उपबंध करता है, कि वह कर्मकारों का मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

विधेयक का खंड 82 यह उपबंध करता है कि, प्रस्तावित संहिता के अध्याय 9 के कतिपय उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होंगे, जिसे खंड 82 से अंतर्विष्ट अध्याय लागू होता है । उक्त अध्याय 9 के खंड 66, 71, 72, 73 और 76 के उपबंध, किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के संबंध में भी, जिसे संहिता के अध्याय 10 के उपबंध लागू होते हैं, यथाशक्य रूप से लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 83 कर्मकार पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि का उपबंध करता है। समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर्मकार पुन:कौशल नामक एक निधि को स्थापित करेगी जिसे खंड में "निधि" कहा गया है । इस निधि में इस खंड में यथा वर्णित अभिदाय सम्मिलित होगा।

विधेयक का खंड 84 अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध का उपबंध करता है । कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे वह प्रस्तावित संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध है।

विधेयक का खंड 85, खंड में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने हेतु समुचित सरकार के अधिकारियों की शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 86 शास्तियों का उपबंध करता है। कोई व्यक्ति, नियोजक, प्रत्येक पद धारक या अन्य व्यक्ति जो व्यवसाय संघ के नियमों से आबद्ध है, खंड में यथा

विनिर्दिष्ट कारणों के लिए दंडित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 87 अपराधों के संज्ञान का उपबंध करता है । यह उपबंध प्रस्तावित संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद के सिवाय, किसी न्यायालय को संज्ञान लेने से वर्जित करता है ।

विधेयक का खंड 88 कंपनियों द्वारा अपराधों का उपबंध करता है। प्रस्तावित संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो, उस समय जब अपराध किया गया था, भार साधन में था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, के साथ-साथ कंपनी को, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खंड 89 खंड के अधीन यथा उपबंधित अपराधों के शमन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 90 कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कतिपय परिस्थितियों के अधीन सेवा की शर्तों इत्यादि के अपरिवर्तित रहने का उपबंध करता है । कर्मकारों की सेवा की ऐसी शर्तें लंबित औद्योगिक विवादों से संबन्धित हैं।

विधेयक का खंड 91 यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबंध करने का उपबंध करता है कि कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली है या नहीं ।

विधेयक का खंड 92 कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति का उपबंध करता है । ऐसा अंतरण समुचित सरकार द्वारा एक अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों का दूसरे अधिकरण को अंतरण से संबन्धित है। केंद्रीय सरकार एक अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने और उसे खंड में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित करने के लिए सशक्त है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण को, जहां केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है वहां प्रस्तावित संहिता के उपबंधों के अधीन उनके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उद्भूत मामलों को स्वीकार करने और निपटाने के लिए सशक्त कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 93 व्यक्तियों के संरक्षण का उपबंध करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी में, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करते हैं वे इस खंड के अधीन संरक्षित हैं।

विधेयक का खंड 94 पक्षकारों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करता है। कोई कर्मकार और कोई नियोजक जो विवाद में पक्षकार है, प्रस्तावित संहिता के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही में खंड में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार होगा।

विधेयक का खंड 95 अधिनिर्णय या समझौते के निर्वचन में शंकाओं को दूर करने का उपबंध करता है। यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उदभूत होती है तो वह उस प्रश्न को उस अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे जिसका विनिश्चय अंतिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

विधेयक का खंड 96 छूट की शक्ति का उपबंध करता है। यदि समुचित सरकार का

किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संहिता के किसी उपबंध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं तो यह, अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को प्रस्तावित संहिता के उस उपबंध से छूट दे सकेगी ।

विधेयक का खंड 97 किसी मामले के संबंध में जिसे प्रस्तावित संहिता का कोई उपबंध लागू होता है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के वर्जन का उपबंध करता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी बात के संबंध में जिसे प्रस्तावित संहिता के अधीन किया गया है या किया जाना आशायित है कोई व्यादेश जारी नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 98 किसी व्यक्ति को विधिक कार्यवाही से संरक्षण का उपबंध करता है यदि प्रस्तावित संहिता के अनुसरण में कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है ।

विधेयक का खंड 99 नियमों को बनाने की शक्ति का उपबंध करता है। समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रस्तावित संहिता के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए नियमों को बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 100 शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध करता है। समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए खंड में यथा विनिर्दिष्ट द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

विधेयक का खंड 101 अनुसूचियों के संशोधन की शक्तियों का उपबंध करता है। केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

विधेयक का खंड 102 खंड में यथाविनिर्दिष्ट वित्त अधिनियम, 2017 के संशोधन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 103 राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है । ऐसा आदेश उस तारीख से जिसको प्रस्तावित संहिता प्रवृत्त होती है, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 104 व्यावृत्तियों और निरसन का उपबंध करता है । वे अधिनियमितियां जो निरसित की जा रही हैं वे खंड में प्रगणित हैं ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 44, दो सदस्यों, अर्थात् एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बने औद्योगिक अधिकरण के गठन का उपबंध करता है । इसी प्रकार, विधेयक का खंड 46, दो सदस्यों, अर्थात् एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बने राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के गठन का उपबंध करता है । वर्तमान में, औद्योगिक अधिकरण में केवल एक पीठासीन अधिकार ही होता है और इसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण में एक पीठासीन अधिकार ही होता है । इस प्रकार, जब प्रस्तावित संहिता को अधिनियमित किया जाएगा और प्रवर्तन में लाया जाएगा तो औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, दोनों के सदस्यों में वृद्धि से भारत की संचित निधि से व्यय में वृद्धि होगी । ऐसे व्यय का प्राकलन आवर्ती व्यय के रूप में बारह करोड़ रुपए और अनावर्ती व्यय के रूप में एक करोड़ रुपए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के कतिपय उपबंध, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित सरकार को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त करते हैं।

2. विधेयक का खंड 2 का उपखंड (इ) समुचित सरकार को अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन प्रमाणन अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी प्रमाणन अधिकारी को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है।

3. विधेयक का खंड 2 का उपखंड (ड) केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे अन्य क्रियाकलाप को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है जिसे "उद्योग" की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके।

4. विधेयक का खंड 5 का उपखंड (1) राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्तियों को व्यवसाय संघ के अतिरिक्त रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के संयुक्त रजिस्ट्रार और व्यवसाय संघ के उप-रजिस्ट्रार के रूप में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिन्हे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

5. विधेयक का खंड 23 का उपखंड (1) का स्पष्टीकरण, "असंगठित सेक्टर" से ऐसा कोई सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समुचित सरकार को किसी सेक्टर को "असंगठित सेक्टर" किसी सेक्टर के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

6. विधेयक का खंड 28 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय के कम से कम साठ दिन की सूचना देने के पश्चात्, इस अध्याय 4 के उपबंधों को एक सौ से कम व्यक्तियों को ऐसी संख्या में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, नियोजित करने वाले किसी औद्योगिक स्थापन को लागू कर सकेगी।

7. विधेयक का खंड 39 समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा सशर्त या बिना शर्त किसी औद्योगिक स्थापन या औद्योगिक स्थापनों के वर्ग को अध्याय 4 के सभी या किन्ही उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त करता है।

8. विधेयक का खंड 41 या उपबंध करता है कि जहां समुचित सरकार की यह राय है कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकार के किसी वर्ग को खंड 40 के उपबंधों का लागू किया जाना उसके संबंध में इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालने के संबंध में नियोजक को प्रभावित बिना करता है कि ऐसे

लागू किए जाने से संबंधित उद्योग पर गंभीर पारस्परिक प्रभाव कारित हो सकेंगे और लोकहित में ऐसी अपेक्षा की जाती है तो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी की उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू नहीं होंगें या लागू होंगे।

9. विधेयक का खंड 43 का उपखंड (1) समुचित सरकार को व्यक्तियों की ऐसी संख्यां में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है जो वह सुलह अधिकारियों के रूप में, ठीक समझे, जिन्हें औद्योगिक विवादों में मध्यस्था करने और उनके निपटारे को बढ़ावा देने के कर्तव्य सौंपे गए हैं।

10. विधेयक का खंड 44 का उपखंड (1) समुचित सरकार को ऐसे औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन करने के लिए सशक्त करता है, जिनमें उस सरकार की राय में, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतवर्लित हैं या वे ऐसी प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों की ऐसे विवादों में हितबद्ध होने की या उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

11. विधेयक के खंड 46 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अअधिकरण गठित करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें उस सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के या ऐसे प्रकृति के प्रश्न अंतर्वलित स्थापन हितबद्ध होने या ऐसे विवादों से प्रभावित होने की संभवना है ।

12. विधेयक का खंड 70, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि किसी उद्योग में नियोजित कोई कर्मकार जो किसी नियोजक के अधीन एक वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा में रहा है, उस नियोजक द्वारा छंटनी नहीं किया जाएगा जब तक कि यथा विहित नोटिस ऐसी रीति में समुचित सरकार को तामील नहीं किया जाता या ऐसे प्राधिकारी को तामील नहीं किया जाता जैसा समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

13. विधेयक का खंड 77, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि अध्याय 10 के उपबंध उस औद्योगिक स्थापन को लागू होंगे (जो मौसमी प्रकृति का स्थापन नहीं है या जिसमे कार्य केवल आंतरायक रूप से किया जाता है) जिसमें सौ से अन्यून कर्मकार या ऐसी संख्या में कर्मकार जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रति कार्य दिवस में नियोजित किए गए ।

14. खंड 83 का उपखंड (1) समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा कर्मकार पुनः कौशल निधि के नाम से ज्ञात एक निधि गठित करने के लिए सशक्त करता है ।

15. खंड 89 का उपखंड (1) समुचित सरकार को उक्त खंड के उपबंधों के अनुसार अपराधों का शमन करने के प्रयोजन के लिए एक राजपत्रित अधिकारी विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है ।

16. विधेयक के खंड 92 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें कथन किए गए कारणों से राज्य सरकार द्वारा गठित एक

अधिकरण को विधेयक के उपबंधों के अधीन अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले मामलों के निपटारे करने के लिए सशक्त कर सकेगी जहां समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है ।

17. विधेयक का खंड 97 उपबंध करता है कि जहां समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग अथवा उस सरकार के विभाग द्वारा कार्यान्वित उपक्रमों के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि इस विधेयक के किसी उपबंध के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समुचित उपबंध विद्यमान हैं तो वह अधिसूचना द्वारा सशर्त या शर्त के बिना ऐसे स्थापन या उपक्रम अथवा स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को इस संहिता के उस उपबंध से छूट दे सकेगी ।

18. खंड 101 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची को अधिसूचना द्वारा उसमें जोड़ने या परिवर्तन करने या संशोधन करने के लिए सशक्त करता है और उक्त खंड का उपखंड (2) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी अपेक्षित है ।

19. खंड 99 का उपखंड (1) समुचित सरकार को पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) वे विषय विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित है : (क) खंड 2 के उपखंड (यघ) के अधीन सुलहकारी कार्यवाही के दौरान समझौते तक पहुंचने के लिए से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच लिखित करार; (ख) खंड 3 के अधीन कर्मकार समिति का गठन और स्थापन में लगे हुए कर्मकारों तथा नियोजक के प्रतिनिधियों को चुनना; (ग) खंड 4 के उपखंड (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजक और कर्मचारों में से सदस्यों के चुनने की रीति; (घ) खंड 4 के उपखंड (5) के अधीन किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष किसी विवाद के लिए फाइल किया जाने वाला आवेदन; (ङ) खंड 4 के उपखंड (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत की सुलह के लिए शिकायत निवारण अधिकारी को आवेदन फाइल करने की रीति; (च) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा चंदे का संदाय और ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से खंड 7 के उपखंड (च) के अधीन दान; (छ) खंड 7 के उपखंड (ञ) के अधीन वार्षिक संपरीक्षा की रीति; (ज) खंड 8 के उपखंड (1) के अधीन शपथपत्र द्वारा घोषणा का प्ररूप और उसे बनाने की रीति; (झ) खंड 8 के उपखंड (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में तैयार और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला व्यापार संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ; (ञ) उपखंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और खंड 9 के उपखंड (2) के अधीन आवेदक व्यापार संघ को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की रीति; (ट) खंड 9 के उपखंड (3) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में व्यापार संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां प्रविष्ट करने का प्ररूप; (ठ) खंड 9 के उपखंड (5) के अधीन व्यापार संघ के आवेदन का सत्यापन; (ड) खंड 10 के उपखंड (1) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर व्यापार संघ द्वारा अधिकरण को अपील की जानी

है; (ढ) खंड 11 के उपखंड (1) के अधीन संसूचना और नोटिस भेजना और खंड 2 के अधीन रजिस्ट्रार को सूचित करने की रीति; (ण) खंड 14 के उपखंड (1) के अधीन वे विषय जिन पर वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् किसी औद्योगिक स्थापन में औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ वार्ता कर सकेंगे; (त) खंड 14 के उपखंड (3) और (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल पर कर्मकारों के सत्यापन की रीति और खंड 7 के अधीन औद्योगिक स्थापन द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं; (थ) खंड 15 के उपखंड (1) और उपखंड (2) के अधीन उद्देश्य तथा उपखंड (4) अधीन संदेय चंदा; (द) खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति; (ध) खंड 24 के उपखंड (2) के अधीन आमेलन की रीति और खंड 3 के अधीन विभिन्न राज्यों के रजिस्ट्रारों को हस्ताक्षरित आमेलन भेजने की रीति; (न) खंड 25 के उपखंड (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विघटन पर व्यापार संघ की निधियों का वितरण; (प) खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन वह तारीख जिसके पूर्व साधारण विवरण वार्षिक रूप से रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया जाएगा, साधारण विवरण में अंतर्विष्ट विशिष्टियां और इसका प्ररूप वे व्यक्ति जिनके द्वारा और वह रीति जिसमें ऐसा साधारण विवरण संपरीक्षित किया जाएगा; (फ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर राज्य व्यापार संघ के रूप में व्यापार संघ या व्यापार संघों के महा संघ की मान्यता की रीति और प्राधिकार तथा इसके द्वारा विवादों के विनिश्चय की रीति; (ब) खंड 30 के उपखंड (4) के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधि चुनने की रीति जहां कोई भी व्यापार संघ प्रचालन में नहीं है; (भ) खंड 30 के उपखंड (7) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधिप्रमाणन की रीति; (म) खंड 30 के उपखंड (8) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण; (य) खंड 30 के उपखंड (9) के अधीन समान स्थापन में नियोजकों के समूह द्वारा प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने के लिए शर्तें; (यक) खंड 32 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटारे की रीति; (यख) खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजने की रीति और खंड 2 के अधीन स्थायी आदेश की भाषा और उसे अनुरक्षित रखने की रीति; (यग) खंड 34 के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा अंतिम प्रमाणित स्थायी आदेशों को फाइल करने के रजिस्टर का प्ररूप और ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए फीस; (यघ) खंड 35 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाणन अधिकारी के समक्ष दिए जाने वाले स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन; (यङ) खंड 40 के उपखंड (झ) के अधीन प्रभावी किए जाने वाले स्थापित परिवर्तन की प्रकृति का नोटिस देने की रीति; (यच) खंड 42 के उपखंड (3) के अधीन माध्यस्थम करार का प्ररूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की रीति; (यछ) खंड 42 के उपखंड (4) के अधीन सुलहकारी अधिकारी द्वारा माध्यस्थम करार के रजिस्ट्रीकरण की रीति; (यज) खंड 42 के उपखंड (5) के अधीन अधिसूचना जारी करने की रीति जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया गया है; (यझ) खंड 42 के उपखंड (5) के परंतुक के अधीन कर्मकारों के प्रतिनिधि चुनने की रीति जहां कोई व्यापार संघ नहीं है; (यञ) खंड 44 के उपखंड (11) के अधीन रिक्ति भरने की रीति; (यट) खंड 46 के उपखंड (6) के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, वेतन

और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें; (यठ) खंड 49 के उपखंड (3) के अधीन ऐसे अन्य विषय जिनके संबंध में कोई सुलहकारी अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है; (यड) खंड 53 के उपखंड (1) के अधीन सुलहकारी कार्यवाहियों को करने की रीति, उपखंड (4) के अधीन पूरी रिपोर्ट का प्ररूप और उपखंड (6) के अधीन आवेदन का प्ररूप तथा ऐसे आवेदन को विनिश्चित करने की रीति; (यढ) खंड 62 के उपखंड (4) के अधीन उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन्हें ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ऐसा नोटिस देने की रीति; (यण) खंड 62 के उपखंड (5) के अधीन तालाबंदी का नोटिस देने की रीति और खंड 6 के अधीन प्राधिकारी; (यत) किसी उद्योग में नियोजित कोई कर्मकार जो किसी नियोजक के अधीन एक वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा में रहा है, उसकी छंटनी के पूर्व समुचित सरकार को नोटिस तामील या ऐसे प्राधिकारी को तामील करने की रीति जैसा समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; (यथ) खंड 72 के अधीन वह रीति जिसमें नियोजक छंटनी किए गए कर्मकारों को जो भारत के नागरिक हैं, पुनः नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर देगा. (यद) खंड 74 के उपखंड (1) के अधीन वह रीति जिसमें नियोजक उपक्रम की आशयित बंदी के कारण स्पष्ट रूप से कथन करते हुए नोटिस समुचित सरकार को तामील करेगा; (यध) खंड 78 के उपखंड (2) के अधीन नियोजक द्वारा आशयित कामबंदी के कारण स्पष्ट रूप से कथन करते हुए आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की रीति; (यन) खंड 78 के उपखंड (3) के अधीन समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को नियोजक द्वारा कामबंदी निरंतर करने की अनुज्ञा देने के लिए आवेदन करने की रीति; (यप) खंड 78 के उपखंड (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समयसीमा; (यफ) खंड 79 के उपखंड (2) के अधीन नियोजक द्वारा आशयित छंटनी के कारण स्पष्ट रूप से कथन करते हुए आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की रीति; (यब) खंड 80 के उपखंड (1) के अधीन नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम की आशयित बंद करने के कारण स्पष्ट रूप से कथन करते हुए आवेदन करने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को देने की रीति; (यम) खंड 80 उपखंड (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समयसीमा; (यय) खंड 83 के उपखंड (2) के अधीन कर्मकार पुनः कौशल निधि को ऐसे अन्य स्रोतों से किया जाने वाला अभिदाय; (ययक) खंड 13 के उपखंड (13) के अधीन निधि के उपयोग की रीति; (ययख) खंड 89 के उपखंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति; (ययग) खंड 89 के उपखंड (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन करने की रीति; (ययघ) खंड 91 के अधीन व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत करने की रीति; (ययङ) खंड 94 के उपखंड (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए कर्मकार के प्राधिकरण की रीति; (ययच) खंड 94 के उपखंड (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए नियोजक के प्राधिकरण की रीति; और (ययछ) कोई अन्य विषय जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

20. विधेयक के खंड 99 का उपखंड (4) केंद्रीय सरकार को किसी व्यापार संघ या व्यापार संघों के महासंघ की केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय व्यापार संघ के रूप में मान्यता की रीति के लिए और खंड 27 के उपखंड (1) के अधीन इसके द्वारा विवाद के विनिश्चय के प्राधिकरण और रीति तथा खंड 85 के उपखंड (1) के अधीन जांच करने की रीति के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

21. खंड 99 का उपखंड (4) उपबंध करता है कि उक्त खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है तथा उक्त खंड का उपखंड (5) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

22. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक व्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—3658LS(CRC)—22-11-2019.